कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 860२/प्र.अ. / विधि (स्टेनो) / लो.स्वा.यां.वि. / 2024 प्रति,

- समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर जबलपुर/वि.यां. परिक्षेत्र भोपाल
- समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थय यांत्रिकी मंडल.....
- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थय यांत्रिकी खंड.....
- विषय :- कार्यभारित स्थापना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा उनकी दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को गणना में लेकर पेंशन की गांग संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण के संबंध

में। [म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 12 (2) के संदर्भ में]

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क. 1134 दिनांक 05.02.2024, 1669 दिनांक 12.02.2024, 15962 दिनांक 22.12.2023, 2316 दिनांक 11.03.2024, 2501 दिनांक 14.03.2024 ।

-0-

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जो विभागीय बेवसाइट पर ''विधिक मार्गदर्शन'' शीर्षक के अन्तर्गत भी उपलब्ध करायें गये है।

विभाग के संज्ञान में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 17940/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19 मार्च 2024 आया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक कार्यभारित ख्थापना के वायरमेन पद पर कार्यरत रहे तथा वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके द्वारा दिनांक 11.09.1986 से 05.10.2023 तक की गई दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को गणना में लेकर पेंशन के लाभ देने के आदेश दिये गये है। निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता कर्मचारी को इस प्रकृति के लाभ म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 12(2) के आधार पर दिये गये है।

इस संबंध में लेख है कि कार्यभारित/नियमित स्थापना का कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो पूर्व में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत रहा हो तथा बाद में शासन की नीति के तहत कार्यभारित/नियमित स्थापना में संविलयन के माध्यम से कार्यभारित/नियमित स्थापना का कर्मचारी बना हो, के मामले में वह जिस दिन से कार्यभारित/नियमित स्थापना में पदभार ग्रहण करता है,

8191220

भोपाल, दिनांक ०१/०१/२०२५

उसी दिन से पेंशन प्रयोजन हेतु उसकी सेवा अवधि की गणना की जाती है। इस प्रकरण विशेष में सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा अपनी दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को भी पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य कराने के लिये म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 12 (2) का सहारा लिया गया है तथा रिट याचिका के निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा इसे मान्य भी कर दिया गया है। विभाग द्वारा निर्णय के संबंध में वैधानिक कार्यवाही प्रचलन में है।

इस संबंध में पुनः आपको स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006 एवं एस.एल.पी. (सी.) सी.सी.कमांक 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी बनाम मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियोजन पूर्णतः अवैधानिक है। ऐसी सेवाएं ना तो पेंशन योग्य हैं और ना ही इन्हें पेशन प्रयोजन हेतू गणना में लिया जा सकता है।

यदि आपके परिक्षेत्र/मंडल/खंड के अधीनस्थ भी इस प्रकृति के न्यायालयीन प्रकरण दायर होते हैं अथवा विचाराधीन हो तो आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दर्शाये गये आधारों पर प्रकरण का प्रभावी प्रतिरक्षण करना सुनिश्चित करें

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

919.20 प्रमुख अभियंता

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT INDORE

-1-

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE SUBODH ABHYANKAR

ON THE 19th OF MARCH, 2024

WRIT PETITION No. 17940 of 2023

BETWEEN:-

RAMENDRA S/O GANGASAGAR AGNIHOTRI, AGED ABOUT 62 YEARS, OCCUPATION: RETIRED 83/2 MOTI TABELA, DISTRICT INDORE (MADHYA PRADESH)

.....PETITIONER

(BY SHRI KARPE PRAKHAR MOHAN, ADVOCATE)

AND

- ^{1.} THE STATE OF MADHYA PRADESH PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT PHE THROUGH 'PRINCIPAL SECRETARY VALLABH BHAWAN, DISTRICT BHOPAL . (MADHYA PRADESH)
- 2. ENGINEER IN CHIEF PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT BANGANGA, JAL BHAWAN, BHOPAL (MADHYA PRADESH)
- 3. CHIEF ENGINEER PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT TUKOGANJ, INDORE (MADHYA PRADESH)
- 4. EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT DIVISION 2 IMC, MUSAKHEDI, INDORE (MADHYA PRADESH)

.....RESPONDENTS

(BY MS. HARSHLATA SONI, PANEL LAWYER APPEARING ON BEHALF OF ADVOCATE GENERAL).

This application coming on for admission this day, the court passed the following:

ORDER

Heard finally, with the consent of the parties.

2] This writ petition has been filed by the petitioner, a retired Wireman, seeking the following reliefs:-

"A Petition may kindly be allowed by issuing appropriate writ order or direction by directing the respondent department to grant pensionary benefit (including pension, gratuity, earned leaves etc.), after calculating qualifying service of petitioner from 11.09.1986 and consequential benefits there from including arrears. B Any other relief which this Hon'ble Court deems fit in the facts

and circumstances of the case may be awarded along with the cost of the present petition."

3] The grievance of the petitioner is that although he is getting a pension, but his services rendered as daily wager employee for 37 years in PHE have not been counted for the purposes of quantum of pension.

4] In brief, the facts of the case are that the petitioner was posted as Wireman on 11.09.1986, and was subsequently regularized on 06.10.2003 as per Circular of the Government in the pay scale of Rs.2610-60-3160-65-3540, and after attaining the age of superannuation, he retired at the age of 62 years on 31.03.2023 and is getting pension @ Rs.7,750/- per month. The grievance of the petitioner is that he was a Class IV employee and has put in a total of 37 years in PHE from 1986 to 2023, however, he is not being paid the pension while counting his 17 years, which were spent by him as daily wager employee.

5] Counsel for the petitioner has relied upon a decision rendered by the Co-ordinate Bench of this Court in the case of <u>Gaurishankar Pandey Vs.</u>

State of M.P. and others passed in W.P. No.16652 of 2016 dated 04.10.2017.

6] Counsel for the petitioner has thus, submitted that the petition deserves to be allowed.

7] A reply to the petition has also been filed by the State and it is submitted that no case for interference is made out as the petitioner's services rendered as a daily wager employee cannot be considered for the purposes of quantum of pension as has already been held by the Supreme Court in the case of <u>Uday Pratap Thakur and another Vs. State of</u> <u>Bihar and others</u> reported as <u>AIR 2023 SC 2971</u> wherein the Supreme Court has clearly observed as under:-

- "6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.2. Insofar as the submission on behalf of the appellants that their entire services rendered as work charged should be considered and/or counted for the purpose of pension / quantum of pension is concerned, the same cannot be accepted. If the same is accepted in that case, it would tantamount to regularizing their services from the initial appointment as work charged. As per the catena of decisions of this Court, there is always a difference and distinction between a regular employee appointed on a substantive post and a work charged employee working under work charged establishment. The work charged employees are not appointed on a substantive post. They are not appointed after due process of selection and as per the recruitment rules. Therefore, the services rendered as work charged cannot be counted for the purpose of pension / quantum of pension. However, at the same time, after rendering of service as work charged for number of years and thereafter when their services have been regularized, they cannot be denied the pension on the ground that they have not completed the qualifying service for pension. That is why, the service rendered as work charged is to be counted and/or considered for the purpose of qualifying service for pension, which is provided under Rule 5(v) of the Rules, 2013.

6.3. xxxxxxxxxxxx

8] Thus, it is submitted that the petition is liable to be dismissed.

9] Heard. Having considered the rival submissions and perusal of the

record as also the aforesaid decisions rendered by this Court in the case of **Gaurishankar Pandey (supra)** and also by the Supreme Court in the case of **Uday Pratap Thakur and another (supra)**, this Court finds that in the case of **Gaurishankar Pandey (supra)**, this Court, while relying upon the decision rendered by this Court in the case of **Sudama Prasad Pandey Vs. State of M.P. passed in W.P. No.16878 of 2010 dated 16.12.2010**, has reflected upon Rule 12(2) of M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976 (in short "the Pension Rules of 1976') and has held that for the purposes of qualifying service of a government servant, the services rendered by him in temporary capacity shall also be taken into consideration. Rule 12(2) of the Pension Rules, 1976 reads as under:-

"12. Commencement of qualifying service. - (1) Except for compensation gratuity, a Government servant's service does not qualify till he has completed 18 years of age, provided that nothing contained in this clause shall apply in the case of persons who were in service on the date of commencement of these rules and in whose case a lower age limit has been prescribed.

(2) Subject to the provisions of these rules, <u>qualifying service of a</u> <u>Government servant shall commence from the date he takes charge</u> <u>of the post to which he is first appointed either substantively or in</u> an officiating or *temporary capacity*."

(emphasis supplied)

10] A perusal of the aforesaid Rule clearly reveals that the services rendered in the temporary capacity are also included in the definition of qualifying service, in such circumstances, the services rendered by the petitioner as a daily wager employee have to be counted for his qualifying service. So far as the case of **Uday Pratap Thakur and another (supra)** is concerned, no such rules have been referred to by the Supreme Court, which are applicable in the State of Bihar, thus, the case of **Uday Pratap Thakur and another** is clearly distinguishable and has no application in the facts and circumstances of the case on

-4-

hand.

11] Resultanly, the petition deserves to be and is hereby **allowed**, and it is directed that the respondents shall count the period of the service of the petitioner as a daily wager employee w.e.f. 11.09.1986 to 06.10.2003, as qualifying service under rule 12(2) of M.P. civil service pension rule 1976 for the purpose of pension and other retiral dues.

12] Respondents are directed to make the payment to the petitioner in accordance with law within a further period of 3 months from the date of receipt of certified copy of this order.

13] Petition stands allowed and disposed of.

(SUBODH ABHYANKAR) J U D G E

moni

-5-

Basis for filing Review Petition against the order dated 19/03/2024 passed in W.P. No. 17940/2023 (Ramendra Agnihotri Vs State of M.P.)

(1) Rule 12(2) of M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976 reads as under:

"12. Commencement of qualifying service. - (1) Except for compensation gratuity, a Government servant's service does not qualify till he has completed 18 years of age, provided that nothing contained in this clause shall apply in the case of persons who were in service on the date of commencement of these rules and in whose case a lower age limit has been prescribed.

(2) Subject to the provisions of these rules, qualifying service of a Government servant shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed either substantively or in an officiating or temporary capacity."

(emphasis supplied)

(2) Interpretation made by the Hon. Court

10] A perusal of the aforesaid Rule clearly reveals that the services rendered in the temporary capacity are also included in the definition of qualifying service, in such circumstances, the services rendered by the petitioner as a daily wager employee have to be counted for his qualifying service.

(3) Explanation regarding Rule 12(2) of M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976

(i) What is a substantive appointment?

"Substantive appointment means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, on a clear

vacancy, made after selection in accordance with the Recruitment Rules or by promotion on recommendations of Departmental Promotion Committee (DPC) or in accordance with the policy & procedure prescribed by executive instructions, issued by the Government. This includes an appointment on probation followed by confirmation on completion of the probation period. A substantively appointed employee normally occupies the post for which he has an entitlement and that post is accounted as filled up post. but sometimes, he may occupy any other post as acting appointment also."

(ii) What is an officiating appointment?

"Rule FR Part I, Rule 9 (19) defined the word 'Officiate' means thereby that when an employee discharge duties of a post on which another person is holding a lien. A local Government may, if it thinks fit, appoint a Government servant to officiate in a vacant post on which no other Government servant holds a lien."

Sometimes, a substantively appointed employee of one post, may be directed to look after the functions of a higher post, on purely temporarily basis. This is also called officiating post.

An employee in officiating post may be continue in the post, or get reverted to his original substantive post when another employee joins in the officiating post.

(iii) What is an appointment in temporary capacity?

In regular establishment every post in the cadre of the service having some posts are permanently sanctioned and the rest are temporarily sanctioned. All the appointments to that post, is maintained within these sanctioned post or strength.

Permanently sanctioned posts are sanctioned for ever but temporarily sanctioned posts are sanctioned for a fixed tenure (commonly for One year) by Government of M.P., Finance Department. Every year, if temporarily sanctioned posts are to be kept continue, a new order for continuation of posts is issued by Government of M.P., Finance Department. Until and unless such order is issued the salary of the employees working against these temporary posts cannot be drawn, in that particular year.

"Rule FR Part I, Rule 9 (30) defined the word 'Temporary Post' means a post carrying a definite rate of pay sanctioned for a limited period."

Every substantive appointment on a post in the cadre of the service, on a clear vacancy, is made initially in temporary capacity, against temporarily sanctioned post or temporary post and till further order. This also includes probation, followed by confirmation on completion of the probation period satisfactorily.

After completion of probation period, an order for confirmation in service is issued, in which it is assured that the employee is absorbed in the service in temporary capacity, against temporary post and in future, as & when a permanent post will be available, he will be absorbed in permanent post in permanent capacity.

Only after an order issued from the Appointing Authority, declaring a Government servant permanent, he attains permanent status in permanent capacity and the order is issued after due consideration of his seniority on that post, his service record and number of vacancy available against permanently sanctioned posts in the cadre of the service. Many additional rights and securities are attached with permanent capacity. Many employees pass their whole service tenure without achieving the permanent status.

(iv) Conclusion :- Indirectly we can see that the words used in Rule 12(2) of M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976 – "<u>first appointed either</u> substantively or in an officiating or temporary capacity" having relation only with the regular establishment services in the following terms :-

- (a) Appointed Substantively :- Mode of induction.
- (b)Appointed officiating :- Working on post other than original one.
- (c) Appointed in temporary capacity :- Status or strength of the post.

(4) About the status of Daily wager employee and their services

(i) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रक्रिया के, बिना रिक्त पद, बिना किसी शैक्षणिक योग्यता को विचार में लिए और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किये गए हैं।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006 के सन्दर्भ में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16 मई 2007 के अनुसार अवैधानिक नियुक्ति से तात्पर्य यह है कि :--

" संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत अपात्र लोगों की, ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत की गई नियुक्ति जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा ऐसी नियुक्ति करने हेतु नियुक्तिकर्ता वैध रूप से आबद्ध ना हो तथा ऐसी नियुक्ति करना अवैधानिक हो तथा ऐसी नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत नहीं होते हुए या नियुक्तिकर्ता को नियुक्ति के अधिकार नहीं होते हुए नियम/ बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो। उदाहरणार्थ –

- 1 पद स्वीकृत न होना
- 2 आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर की गई नियुक्ति
- 3 नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा न होना
- 4 भरती नियम अनुसार अर्हता न होना
- 5 नियुक्ति के अधिकार के बिना नियुक्ति
- 6 कोई पद पर नियुक्ति विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, फिर भी ऐसे नियमों या संविधान के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में भरती की गई हो।"

(iii) विभाग में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक (स्थायी वर्गीकृत या अन्यथा) के कोई पद स्वीकृत नहीं है तथा पूर्व में भी स्वीकृत नहीं थे। संबंधित नियोजकों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की नियुक्ति के अधिकार नहीं थे।

(iv) विभागीय तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन कर्मचारियों की नियुक्ति में किसी प्रकार के नियम∕प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

(v) दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के नियम लागू नहीं होते है । उन पर म. प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963, लागू होते है। यद्धपि–यदि इन कर्मचारियों का नियोजन ''म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञायें) अधिनियम 1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत भी विचारित किया जाता है तो भी यह पाया गया है कि Standard Standing Orders के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में नियत प्रावधानों, जिनका उल्लेख Clause.4 एवं 4-A में है, का पालन नहीं किया गया है जो निम्नानुसार है :--

4. **Recruitment** - The manager may after consulting the Employment Exchange lay down the procedure for recruitment of employees and notify it on the notice board on which standing orders are exhibited.

4-A. Letter of appointment- Every employee shall be given a letter of appointment in which among other things, his name, age, qualification, designation, classification, pay-scale, allowance, nature of job, name of department etc., shall be indicated.

(vi) यहाँ उल्लेखनीय है कि मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 198/1999 (मनसुखलाल सराफ विरूद्ध अरूण कुमार तिवारी एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015 में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसे समस्त आदेश जहाँ विहित भर्ती नियमों का पालन न करते हुये भर्तियाँ की गई हैं वो कानूनी रूप से शून्य मानी जायेंगी। यथा :--

> 47. "By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the selection process prescribed by the relevant recruitment rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith. However, we may leave the passing of a formal general Government order for revocation of all such appointments or on case to case basis, to be issued by the Appropriate Authority of the State Government."

> इसी प्रकरण में दायर माननीय उच्चतम न्यायलय की एस. एल.पी. (सी) सी.सी.क. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.4.2017 द्वारा मा०उच्चतम न्यायालय ने मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को मान्य किया है।

(vii) उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर विचार करने के उपरांत यह पाया जाता है कि उमादेवी तथा मनसुखलाल प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार इन कर्मचारियों का नियोजन पूर्णतः अवैधानिक है। ऐसी सेवाएं न तो पेंशन योग्य है और न ही इन्हे पेंशन प्रयोजन हेतु गणना में लिया जा सकता है।

(5) From the above discussion one can very well conclude that there is no correlation exists in between a Daily wage employee and an employee working in temporary capacity in regular establishment. Thus the conclusion drawn by Hon. Court in point (2), does not seems to be correct.

(6) Other basis for defence

(i) Petitioner was a work charged employee. State has made separate service rules for this establishment. In case of pension matters of work charged employee, M.P. (Work charged and contingency paid employees) Pension Rules 1979 are applicable. M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976 are not applicable to these employees. Under these circumstances any reference made to M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976 was not correct.

(ii) Rule 2 (Application) of M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976 runs as under: -

2. Application.

(i) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall apply to every Government servant appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the State of Madhya Pradesh and who are borne on establishments not declared as non-pensionable.

(ii) These rules shall not apply to-

(a)persons in a work-charged establishment;

(b)persons in casual and daily rated employment;

(c)persons paid from contingencies;

<u>(d)</u>persons entitled to the benefit of Contributory Provident Fund;

(e)persons employed on contract except when the contract provides otherwise; and

(f)persons whose terms and conditions of service are regulated by any other rules for the time being in.

Accordingly, these rules are not applicable to workcharged establishment as well as casual and daily rated employment.

(iii) Hon. Court has allowed the petition on the basis of Rule 12(2) of M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976, which deals with "Commencement of qualifying service", but completely ignored the Rule 13 which deals with "Conditions subject to which service qualifies", which runs as under:-

3. Conditions subject to which service qualifies.

(1)The service of a Government servant shall not qualify unless his duties and pay are regulated by the Government, or under conditions determined by the Government.

(2)For the purposes of sub-rule (1), the expression "service" means service against a post under the Government and paid by the Government from the Consolidated Fund of the State which has not been declared as non-pensionable.

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सेवाएं पेंशन योग्य नही है और इन्हे स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया गया है ।

म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम १९७६

अध्याय 1

कस्तिराप्त

(Preliminary)

नियम 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (Short title and Commencement)- (1) ये नियम ''मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976'' कहलायेंगे।

संदर्भः- वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ बी.6/9/76/नि-2/चार, दिनांक 14-5-76 द्वारा प्रसारित एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-5-76 में प्रकाशित।

(2) ये नियम 1 जून 1976 से प्रभावशील होंगे।

नियम 2. प्रयुक्ति (Application) - ¹(1) इन नियमों में जहाँ अन्यथा उपबंधित हो, को छोड़कर ये नियम उन शासकीय सेवकों जो मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त हैं और इन स्थापनाओं पर हैं जिन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, को लागू होंगे।

(2) किन्तु ये नियम निम्न को लागू नहीं होंगे-

- (ए) कार्यभारित स्थापना (वर्क चार्ज) में लगे हुए व्यक्ति पर;
- (बी) आकस्मिक और दैनिक दर पर रोजगार में लगे हुए व्यक्ति पर;
- (सी) आकस्मिकता मद से भुगतान पाने वाले व्यक्ति पर;

(डी) अंशदायी भविष्य निधि का लाभ पाने के हकदार व्यक्ति पर;

- (ई) संविदा में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, के सिवाय, संविदा पर कार्य करने वाले व्यक्ति पर; तथा
- (एफ) व्यक्ति, जिनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों द्वारा विनियमित होती हैं।
- ¹(जी) राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, सेवाओं अथवा पदो पर, एक जनवरी 2005 को अथवा उसके पश्चात् स्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त किए गए शासकीय सेवक ।

टिप्पणी 1. 9 अगस्त, 1948 के पूर्व, जिस दिनांक से रीवा पेंशन नियम, संयुक्त विन्ध्य प्रदेश राज्य को लागू किए थे, निम्नलिखित रियासतों में की गई सेवा, पेंशन के लिए संगणित नहीं की जाएगी क्योंकि इन राज्यों में उनके अपने कोई संहिताबद्ध पेंशन नियम नहीं थे-

अलीपुरा बाओनी, बनका पेहडी, बरोंघा, बेरी-बीहट, भैसुन्दा, बिजाना धुरवाई, गराउली, गौरिहार, जासो, जिगनी, कामता, रजवला, खनियाधाना, कोठी, लुगासी, नएगवाँ, रेवाई, पहाड़ा, पालदेव-नयागाँव, सोहावल, टेराँव, टेरी फतेहपुरा, मेहर।

सन्दर्भ- भारत शासन गृह मंत्रालय क्र. एफ. 15/69/55/स्थापना (सी), दिनांक 22 जून, 1956) ²टिप्पणी 2- पेंशन के लिए मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न घटकों में सेवारत पटवारियों की सेवाओं की गणना निम्नानुसार की जाना है-

(1) मध्यप्रदेश क्षेत्र के आवंटित पटवारीगण - 1-11-48 से;

- (2) मध्य भारत क्षेत्र के आवंटित पटवारीगण 1-4-52 से;
- 1. वि.वि. की अधि. क्र. एफ. 9-3-2005 नियम/चार दि. 2.4.05 से जी (छ) जोड़ा गया।

 टिप्पणी - वित्त विभाग क्र. एफ. बी. 6/3/78/आर-2,/चार दिनांक 10-3-1978 द्वारा स्थापिंत तथा दिनांक 1-6-1976 से प्रभावशील

[1]

अध्याय 3 अर्हतादायी सेवा

(Qualifying Service)

नियम 12. अर्हतादायी सेवा का प्रारम्भ (Commencement of Qualifying Service)- (1) क्षतिपूरक उपदान के सिवाय, किसी शासकीय सेवक की सेवा, जब तक वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करता अर्हता प्राप्त नहीं करती है, परन्तु इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात उन व्यक्तियों के प्रकरणों में, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के दिनांक को सेवारत थे और जिनके प्रकरण में कम आयु सीमा विहित है, the second second as born of second second as the second लाग नहीं होगी।

(2) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा उस दिनांक से प्रारम्भ होगी जिस दिनांक को वह किसी पद का जिस पर वह पहली बार स्थायी अथवा स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से नियुक्त हुआ है, कार्यभार ग्रहण करता है।

नियम 13. शर्तें जिनके अधीन सेवा अर्हता प्राप्त करती है (Conditions subject to which service qualifies) - (1) किसी शासकीय सेवक की सेवा तब तक अर्हता प्राप्त नहीं करेगी जब तक कि उसका कार्य और वेतन शासन द्वारा नियमित अथवा निश्चित शर्तों के अधीन नहीं दिया जाता है।

(2) उपनियम (1) के उद्देश्यों के लिए 'सेवा' से अभिप्रेत है- शासन के अधीन किसी पद के विरुद्ध उस सेवा से है जो राज्य की संचित निधि से, शासन द्वारा भुगतान किया जाता हो तो तथा जिसे पेंशन के अयोग्य (नॉन पेंशनेबल) घोषित नहीं किया गया है।

नियम 14. परिवीक्षा पर सेवा की गणना (Counting of service of Probation) -किसी पद के विरुद्ध परिवीक्षा पर की गई सेवा अर्हतादायी होगी।

नियम 15. शिशिक्ष की हैसियत से सेवा की गणना (Counting of service as Apprentice) - उन प्रकरणों को छोड़कर जहाँ अनुज्ञेय पेंशन नियमों के अधीन उस समय की गई सेवा अर्हतादायी है, शिशिक्षु के रूप में की गई सेवा अर्हतादायी नहीं होगी।

1[नियम 15-ए-तदर्थ सेवा की गणना- तदर्थसेवा अर्हकारी होगी; यदि-

- (अ) तदर्थ नियुक्ति नियमित पद के विरुद्ध थी तथा नियुक्ति बिना सेवा में व्यवधान नियमित की गई है, अथवा
- (बी) उच्च पद पर तदर्थ नियुक्ति स्थायी, स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैसियत में धारित निम्न पद से पदोन्नति होने पर की गई थी।]

Government of Madhya Pradesh Finance Dapartment NOTIFICATION

No. B-25/9/96/PWC/IV

Bhpoal, dated 17 April, 1996

In exercise of the powers conferred by the provise to artical 309 of the Constitution India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely :-

1. वि. वि. की अधिसूचना क्र. F.B.-25/9/96/PWC/IV, दिनांक 17.4.96 द्वारा स्थापित तथा दिनांक 1.6.1976 से लागू।

म. प्र. मूलभूत नियम

मू नि. 9

परिभाषाएँ

3

अध्याय 2

परिभाषाएँ

(Definitions)

मू.नि. 9. परिभाषाएँ- जब तक कि विषय या प्रसंग से संबंधित कोई बात अन्यथा उपबंधित न हो, इस अध्याय में परिभाषित शब्द जो नियमों में प्रयुक्त केये गये हैं, निम्न अर्थ स्पष्ट करते हैं-

(1) "अधिनियम" से तात्पर्य भारत शासन अधिनियम से है।

¹[(1-ए) ''अलाटमेन्ट'' से तात्पर्य शासकीय सेवव को स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र जिसके द्वारा वह मकान अथवा उसके किसी भाग का निवास हेतु उपयोग कर सके जिस पर शासन का स्वामित्व है, पट्टे पर लिया गया है या शासन द्वारा अधिग्रहित किया गया है।)

(2) ''औसत वेतन'' से तात्पर्य उस औसत मासिक वेतन से है जो उस माह के पूर्व जिसमें ऐसी घटना घटी जिसके कारण औसत वेतन गणना की आवश्यकता है, 12 माह में अर्जित किया गया हो, परन्तु यह कि–

- (अ) भारत के बाहर प्रतिनियक्ति पर व्यतीत की गई अवधि के सम्बन्ध में जो परिषद् के गवर्नर जनरल द्वारा अर्ध यूरोपियन परिस्थितियों, जैसी घोषित की गई है, उसके सम्बन्ध में वास्तविक वेतन जो शासकीय सेवक ने यदि वह भारत में कार्यरत रहता तो प्राप्त किया होता, वास्तविक बेतन आहरण के स्थान पर प्रस्थापित किया जाएगा।
- (ब) सिविल सेवा में 17.9.1925 को या उसके पूर्व प्रविष्ट रॉयल इंजीनियर्स के अधिकारी, एक माह हेतु, किसी इकाई के साथ रहते हुए 12 माह पूर्व किसी भी अवधि में सैनिक शिक्षण प्राप्त किया हो तब प्रशिक्षण के तुरन्त पूर्व के माह में अर्जित वेतन उस विशेष माह का वेतन समझा जाएगा।
- (स) एक सैनिक अधिकारी जिसे भाड़ा मुक्त आवास स्वीकृत है तथा जो अस्थाई निवास भत्ते का त्याग करता है, यदि वह अवकाश पर प्रस्थापन करने के पूर्व ऐसा आवास छोड़ देता है तो औसत वेतन गणना में अस्थाई निवास भत्ता यह मानकर जोड़ा जायेगा कि उसे अस्थाई निवास की पात्रता है, जो उसने निवास अवधि में आहरण किया है।

महालेखा परीक्षण अनुदेश 1. ''मास'' की परिभाषा – ''मास'' का अर्थ है ''कैलेण्डर माह'' जैसा कि मूल नियम 9 (18) में स्पष्ट किया गया है।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2. ''वेतन'' जो शासकीय सेवक ने प्राप्त किया होता यदि वह भारत में कर्त्तव्य पर होता'' की व्याख्या मूल नियम 9 (21) (ए) के परन्तुक के अनुसार होगी।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 3. अवकाश अवधि जो औसत वेतन गणना में सम्मिलित नहीं की जायेगी- इस नियम में औसत वेतन की परिभाषा के अनुसार औसत उन माह के वेतन का निकाल लेना चाहिए जो अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरन्त पूर्व 12 माह ां प्राप्त किया है और इस प्रकोरन के लिए अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरन्त पूर्व 12 माह की व्याख्या इसी प्रकार समझी जाये जैसे क शासकीय सेवक जो 23 मार्च, 1922 से 22 जुलाई, 1922 दोनों दिन मिलाकर, अवकाश पर था, को 4 फरवरी, 1923 को अवकाश स्वीकृत किया जाता है, औसत वेतन रस प्राप्त वेतन पर संगणित किया जायेगा जो 1 फरवरी, 1922 से 22 मार्च, 1922 तक एवं 23 जुत ई, 1922 से 31 जनवरी, 1920 तक प्राप्त हुआ था। यदि कोई शासकीय सेवक 12 मास से आधि क लगातार अवकाश पर रहता है तो उस

1. वि.वि. अधिसूचना क्र. 284-R-331/चार-नि.1/69, दिन क 21.3.70 द्वारा जोड़ा गया।

पित) 1 इन केसी

S

4-8

िंद्वारा

नकता

अन्य

'बिना

ास के

द्वारा

रिषद

रे गये

ोजन

भाग केया

ों का 1 कि

भाग ने में

स्तुत

न के

वेत । वेत ।

मू.नि. 9

18

मृ.नि.

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम

4

तिथि के तुरन्त पूर्व जब वह मूल नियमों के अन्तर्गत अवकाश लेता है, औसत उस वेतन के आधार पर लिया जावेगा जिस माह के ठीक पूर्व उसका अवकाश प्रारम्भ हुआ था उससे 12 मास पूर्व तक ली जावेगी। टीप– 12 मास के औसत वेतन की संगणना हेतु मूल नियम 105(बी) अथवा (सी) के अन्तर्गत

पद ग्रहण काल की अवधि छोड़ दी जायेगी, क्योंकि इस अवधि में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। महालेखा परीक्षक अनुदेश 4–विश्राम वेतन सम्मिलित होगा–– विश्रामवकाश विभाग के शासकीय

सेवकों के मामले में यदि 12 मास के तुरन्त पूर्व की अवधि से विश्राम पड़ता है तो मूल नियम 82(बी) के अन्तर्गत कर्त्तव्य अवधि माना जायेगा और इस प्रकार विश्राम अवधि को ऐसा माना जायेगा कि उसने कार्य करके ही वेतन प्राप्त किया है, इस कारण उसका अवकाश वेतन निकालने के लिए इस अवकाश की अवधि को कर्त्तव्य माना जायेगा।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 5- जब विश्राम दोनों तरफ आगे पीछे हो- विश्रामवकाश विभाग के शासकीय सेवकों के मामले में अवकाश के आगे और पीछे विश्राम जोड़ा जाता है तो ऐसी दशा में उस अवधि का अवकाश वेतन जो पीछे जुड़ी गई है, अवकाश प्रारम्भ होने के ठीक 12 मास पूर्व शासकीय सेवक ने जो वेतन प्राप्त किया था, उस आधार पर औसत वेतन संगणित किया जायेगा।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 6- भारतीय सेना में आरक्षित अधिकारी तथा भारतीय प्रादेशिक सेना से सम्बन्धित असैनिक शासकीय सेवक का औसत वेतन-- कोई असैनिक शासकीय सेवक जो भारतीय सेना में आरक्षित अधिकारी से सम्बन्धित है अथवा ऐसा कोई शासकीय सेवक जो भारतीय प्रादेशिक सेना से सम्बन्धित है जब वह सेना का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, और वह सैनिक अधिकारी नहीं है जैसा कि मूल नियम 9(16) (बी) में उल्लेख किया गया है, वेतन के बारे में जिसकी व्याख्या मूल नियम 9(21)(ए) में की गई है जिसमें ''पद वेतन'' सम्मिलित नहीं है जो कि उन्होंने सेवा अथवा प्रशिक्षण में प्राप्त की है। ऐसे मामले से, वह वेतन जो शासकीय सेवक ने प्राप्त किया होता यदि वह सेना में सेवा के लिए अथवा प्रशिक्षण के लिए नहीं बुलाया जाता और वह वेतन जो ''पद–वेतन'' के रूप में उस अवधि में प्राप्त किया है, सम्मिलित नहीं है, अवकाश वेतन के उद्देश्य के लिये औसत वेतन मूल नियम के अन्तर्गत संगणना में लिया जाता है।

(3) ''विधिवक्ता'' से तात्पर्य इंग्लैण्ड अथवा आयरलैंड में व्यावसायिक विधिवक्ता और स्काटलैण्ड सत्र न्यायालय के अधिवक्ता निकाय के व्यवसायी सदस्यों से हैं। इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो यद्यपि बार के लिये बुलाये तो जाते हैं, परन्तु विधिवक्ता व्यवसाय की प्रैक्टिस कभी नहीं करते।

(4) ''संवर्ग'' से तात्पर्य सेवा की उस संख्या या भाग से है, जो पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत है।

(5) ''क्षतिपूरक भत्ता'' से तात्पर्य उस भत्ते से है जो उस वैयक्तिक खर्च को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में कर्त्तव्य निष्पादन के लिए करना पड़ता है। इसमें यात्रा भत्ता सम्मिलित है, परन्तु सत्कार भत्ता और समुद्र मार्ग से भारत के बाहर जाने के लिए निःशुल्क पास सम्मिलित नहीं है।

महालेखा परीक्षक अनुदेश–निजी व्यवसाय की क्षति हेतु भत्तों का वर्गीकरण–– चिकित्सा महाविद्यालयों के अध्यापक जिन्हें निजी व्यवसाय करने पर पाबन्दी है, को स्वीकृत भत्ते, क्षतिपूरक भत्ते माने जावेंगे।

स्थानीय शासन व्यवस्था– कारण अभिलिखित करना– क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृति आदेश में स्वीकृति का कारण अंकित किया जाना चाहिए, जिससे लेखा परीक्षा कार्यालय उन भत्तों के वर्गीकरण पर निगरानी रख सके। उन प्रकरणों में जहाँ खुला आदेश अवांछनीय प्रतीत हो वहां स्वीकृति का कारण गोपनीय तौर पर लेखा के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

(भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ. 9-5-सी.आर. 27, दिनांक 15.2.1927)

है कि

मू.नि. 9

9

R

[]

त

य

t)

ने

গ

के स

य

क

जो

यि

हीं ल

IUI

वा धि

के

ण्ड

जो

15

रेए

ারা ास

सा

मत्ते

मं

पर

रण

7)

(6) ''कर्त्तव्य'' (ए) कर्त्तव्य में सम्मिलित है-

(i) परिवीक्षाधीन या प्रशिक्षु के रूप में भारत में की गई सेवा, जो आगे चल कर स्थाई की गई हो। महालेखा परीक्षक अनुदेश-परिवीक्षाधीन शब्द का विस्तार--

5

(अ) मूल नियम 9(6)(ए)(i) में प्रयुक्त शब्द ''परिवीक्षाधीन'' में वह शासकीय सेवक शामिल नहीं

है जो मौलिक रूप से किसी संवर्ग में स्थायी पद ग्रहण किये हैं और किसी अन्य पर पद, परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया है। चूंकि ऐसा शासकीय सेवक ''परिवीक्षाधीन'' नहीं है, इस कारण मूल नियम 9(6)(ए)(i) का परन्तुक ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है और वह सेवा जो उसके द्वारा की गई है वह सभी मूल नियमों के उद्देश्यों हेतु कर्तव्य समझी जायेंगी और मूल नियम 26(च) के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिबंध या परिसीमा के उस को वेतन वृद्धि हेतु गणना में ली जायेगी जिस पर वास्तविक रूप से कार्य किया है। ऐसे प्रकरणों में यह अनुज्ञेय है कि शासकीय सेवक परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पूर्व भी वेतन वृद्धि प्राप्ति कर सकता है।

(ब) कोई भी व्यक्ति जो परिवीक्षा पर है मौलिक रूप से संवर्ग में स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि कोई निश्चित शर्तें उस नियुक्ति पर न लगाई गई हों, जैसे कि यह शर्त कि वह परिवीक्षा पर रहेगा जब तक कि वह नियत परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले।

(स) उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ नियमों में अन्यथा विनिर्धारित किया गया है परिवीक्षाधीन व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही समझी जाती है जैसी कि वह मौलिक स्थिति का विश्लेषण रूप हो।

(ii) पद ग्रहणकाल;

- (iii) पास्चर इन्स्टीट्यूट में उपचार करा रहे शासकीय सेवक को स्वीकृत औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश,
- (iv) भारतीय सिविल सेवा, भारतीय आरक्षी अथवा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के मामले में, जो समुद्र पार के लिये भर्ती किये गये हों, प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व की अवधि जिसका वह वेतन पाता है,

(बी) निम्न प्रकार की समान परिस्थितियों में स्थानीय शासन आदेश प्रसारित कर निर्देश दे सकता है कि शासकीय कर्मचारियों को कर्त्तव्य पर माना जाये-

भारत में शिक्षा अथवा प्रशिक्षण की अवधि; (i)

- (ii) छात्रों के प्रकरणों में, चाहे वह वजीफेदार हों अथवा अन्यथा, भारत में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय से कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर तथा शासकीय सेवा में नियुक्ति का पात्र होने पर, कुशलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने और कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि:
- (iii) भारत में किसी प्राच्य भाषा में परीक्षा की तैयारी की अवधि;
- (iv) शासकीय सेवक की इंग्लैण्ड में नियुक्ति पर प्रथम बार भारत में आने पर जो सम्बन्धित स्थानीय शासन के मुख्यालय में प्रतिवेदन करने पर यह आदेश नहीं पाते कि उन्हें निर्दिष्ट पद पर कौन सा कार्यभार ग्रहण करना है, उस प्रतिवेदन की तिथि जब वह अपना कार्यभार ग्रहण कर लेता है उस अवधि के बीच का समय।

भारत शासन आदेश-- शासकीय सेवक के मुख्यालय से प्रशिक्षण स्थल तक और प्रशिक्षण स्थल

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम

से उस स्थान तक जहाँ शासकीय सेवक प्रशिक्षण उपरान्त पदस्थ किया गया है, में लगने वाले यात्रा के समय की वास्तविक अवधि को प्रशिक्षण का एक भाग माना जाना चाहिए न कि पद ग्रहण काल समय । यह नियम उन परिवीक्षाधीनों को लागू नहीं होगा जो ''प्रशिक्षण पद'' धारण किये हैं वे यह समझेंगे कि उन्हें इसे स्थानान्तर पर लिया है। ऐसे परिवीक्षाधीन स्थानांतर होने पर कार्यग्रहण काल के पात्र होंगे।

(भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ-17-आर-1-29, दिनांक 23 जून, 1929) महालेखा परीक्षक अनुदेश- निरस्त।

स्थानीय प्रशासन आदेश 1- उपरोक्त भारत शासन आदेश के प्रयोजनार्थ ''समय की युक्तियुक्त आवश्यकता'' इसे ऐसा समय समझा जाना चाहिए जैसा विभाग प्रमुख युक्तियुक्त समझे, परन्तु यह मूल नियम 106 के नीचे पूरक नियमों के अन्तर्गत संगणित स्थानान्तरण पर देय कार्यग्रहण काल से अधिक (पाँच दिन तैयारी) नहीं होना चाहिए। 5 दिन का तैयारी समय उस समय वापसी यात्रा पर दिया जायेगा जब शासकीय सेवक प्रशिक्षण स्थल से प्रशिक्षण समाप्त होने पर नये स्थान पर नियुक्त किया जाता है। सहायक आयुक्त के प्रकरण में जो न्याय विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और अधीनस्थ न्यायाधीशों के प्रकरणों में जो दण्डाधिकारी प्रशिक्षण में हैं, उनके लिये प्रशिक्षण स्थल को एवं वहां से वापसी यात्रा के लिए युक्तियुक्त समय वह होगा जैसा स्थानांतरण पर पूर्ण कार्यग्रहण काल में देय होता है।

स्थानीय शासन आदेश 2- लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षु यंत्रियों के लिये एक प्रशिक्षण स्थल से दूसरे प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने के लिए निम्नानुसार समय दिया जायेगा-

(1) जब प्रशिक्षण का नया स्थल उसी स्टेशन पर है, लेकिन उसी कार्यालय में नहीं- एक दिन

- (2) जब प्रशिक्षण का नया स्थल भिन्न स्टेशन पर है-
 - (अ) तैयारी के लिये दो दिन; और

6

(ब) वास्तविक यात्रा के लिए मूल नियम 106 के नीचे पूरक नियम के अंतर्गत स्थानान्तर पर यात्रा के लिए संगणित समय। रविवार जिसमें वास्तविक रूप से यात्रा नहीं की गई है, इस प्रयोजन के लिए छोड दिया जायेगा।

(लोक निर्माण विभाग ज्ञाप क्र. 134–H-E, दिनांक 13.12.1941) पूरक नियम–कब शासकीय सेवक कर्त्तव्य पर समझा जायेगा– एक शासकीय सेवक निम्न परिस्थितियों में कर्तव्य पर समझा जायेगा–

 अनुदेश या प्रशिक्षण की अवधि में, बशर्तें, कि वह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ऐसे अनुदेश या प्रशिक्षण में भेजा गया हो।

टिप्पणी (1) – प्रारम्भिक अथवा नियतकालीक प्रशिक्षण, उन शासकीय सेवकों के लिए जो भारत मैं सहायक सेना, अथवा भारतीय प्रादेशित सेना से नामांकित है, जिन्हें कि सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेना पड़ता है और समस्त सैनिक प्रशिक्षण जो नियमित सेना के साथ जुड़े रहने से प्रशिक्षण लेना आवश्यक हो, और वैसा संलग्नीकरण प्राधिकृत किया गया हो तो ''अनुदेश अथवा प्रशिक्षण की अवधि'' इन नियम के उद्देश्य के लिए कर्तव्य समझी जायेगी। प्रशिक्षण की अवधि में वह समय सम्मिलित नहीं है, जो यात्रा मैं प्रशिक्षण स्थल को जाने एवं प्रशिक्षण स्थल से वापस आने में लगता है। यद्यपि यह अवधि कर्त्तव्य समझी जाती है।

टिप्पणी (2) – इस शासन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन शासकीय सेवकों द्वारा व्यतीत किया गया समय, जो भारत में भारतीय सेना के अधिकारी पद का प्रशिक्षण ले रहे हैं, सिविल अवकाश और निवृत्ति बैतन और सिविल वेतन वृद्धि के लिए कर्तव्य पर संगणित किया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि, यद्यपि कर्त्तव्य समझी जाती है।

aren

ত্তমা

मुनि

20

मृ.नि. 9

वेतन

में रें

उनर्व

के हि

परिभाषाएँ

21

टिप्पणी (3)- असैनिक सेवा का शासकीय सेवक जो सहायक सेना शिविर में उपस्थित रहता है, उसकी असैनिक नियुक्ति के फलस्वरूप, उसके शिविर, वेतन और भत्ते उस शिविर की अवधि से सैनिक वेतन के अतिरिक्त पाने की पात्रता होगी।

(ii) छात्रों के प्रकरणों में, चाहे वजीफेदार हों या अन्यथा, जो कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय के प्रशिक्षण सत्र तत्काल उत्तीर्ण करने के पश्चात् शासकीय सेवा में नियुक्ति के पात्र हैं, संतोषप्रद ढंग से सत्र पूर्ण करने की घोषणा एवं शासकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि।

टिप्पणी- वे उम्मीदवार जो वन विभाग की सेवा में नहीं है परन्तु जो वन महाविद्यालय कोयम्बटूर में रेंजर के पाठ्यक्रम में भेजने हेतु चुने गये हैं, भेजने से पूर्व प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए चुने जाते हैं, उनकी प्रशिक्षण की अवधि उस तिथि से जब प्रशिक्षण पाने के लिए महाविद्यालय में प्रविष्ट होते हैं, पेंशन के लिए गणना में ली जायेगी, किन्तु अवकाश के लिये गणना में नहीं ली जायेगी।

लेए गणना म ला जायगा, ाकन्तु अवकारा का लिप मेगा में प्रथम आगमन, जो निर्दिष्ट पद का कार्यभार (iii) इंग्लैण्ड में नियुक्त शासकीय सेवकों का भारत में प्रथम आगमन, जो निर्दिष्ट पद का कार्यभार लेने के आदेश प्राप्त करने हेतु स्वयं नागपुर में उपस्थित होते हैं, ऐसा प्रतिवेतन देने एवं अपने कर्त्तव्य का कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि, बशर्ते कि आदेश प्राप्ति एवं कर्त्तव्य पर उपस्थिति को अवधि मूलभूत नियम 105(अ) के अधीन शासकीय सेवक को देय कार्यग्रहण काल से अधिक नहीं होगी।

(iv) ऐसे किसी अधिकारी के प्रकरण में जिसको शासन द्वारा किसी प्राच्य भाषा की निर्धारित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है, उस परीक्षा में बैठने की तैयारी में लगने वाला समय, जो निम्न

शतों के अधीन हो-(अ) उन प्रकरणों में जिनका वर्णन विशेषतः नहीं किया गया है, कार्यग्रहण परीक्षा की तैयारी

के लिये स्वीकृत समय को छोड़कर और परीक्षा के दिन अथवा दिनों को जोड़ते हुए। (ब) उम्मीदवारों के लिए जो हिन्दी और मराठी भाषा में उच्च प्रावीण्य अथवा प्रावीण्य उपाधि

(उम्मादवारा क) लिए जा लिप जाए गाठा गांधा के पूर्व तैयारी के लिये दी गई है, वह उतनी परीक्षा दे रहे हैं, की वह अवधि जो परीक्षा के पूर्व तैयारी के लिये दी गई है, वह उतनी होगी जो प्रत्येक मामले में स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित की जाये, परन्तु साधारणतः 3 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। यदि भाषा संस्कृत, अरबी अथवा फरसी हो तो उम्मीदवार को यह वचन पत्र देना होगा कि व्यावसायिक शिक्षण की अवधि स्थानीय शासन द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही बितायी जायेगी।

(v) ऐसे अधिकारियों के मामले में जिन्हें अनिवार्य रूप से विभागीय परीक्षा देनी पड़ती है, परीक्षा के दिन अथवा दिनों को शामिल करते हुए कार्यग्रहण काल की अवधि में तैयारी के समय को छोड़कर समय दिया जायेगा लेकिन परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त कोई भी समय तैयारी अथवा मनोरंजन के लिए नहीं दिया जायेगा।

(vi) ऐसे अधिकारियों के मामलों में, जो सेवा या शाखा में उच्च नियुक्ति पाने के लिए योग्य होने हेतु बैठते हैं, कार्यग्रहण काल की अवधि में तैयार के समय को छोड़कर तथा परीक्षा के दिन अथवा दिनों को शामिल करते हुए। यह छूट प्रति एक परीक्षा वर्ग में दो से अधिक बार के लिए प्रवान नहीं की जायेगी।

टिप्पणी- ऐने लिपिकों के मामले में जिन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लोक निर्माण विभाग में सुपीरियर क्लर्क-शिप प्राप्त होती है, छूट की गणना कार्यग्रहण काल (तैयारी में लगने वाले समय को छोड़कर)

Frank Street B

मू.नि. 9

9

त्रा

41

कि

गे।

9)

युक्त मूल

धेक

येगा

吉日

रीशों

यात्रा

न्थल

दिन

ान्तर

जे गई

741)

निम्न

ननुदेश

भारत

शिक्षण

वश्यक

नियम

ो यात्रा

समझी

या गया

निवृत्ति यद्यपि मध्यप्रदेश मूलभूत नियम

मृ.नि. १

अधिका

अधिका

कर्त्तव्य

के कर्म

वेतन ए मूल निग

नियमों

गणना र

दिनों की

पद पर

कर्मचार्र का धार

के आध

कर रह

(

(

(:

(:

(i

(i (i

(?

(i

(i

ਚ

(i

(ii (ii

वेतन में

रहा है।

करता है

मू.नि. 9

तथा परीक्षा के दिन अथवा दिनों सहित कर्त्तव्य पर चार अवसर प्रदान किये जायेंगे।

(सी.पी. एवं बरार, शासन लोक निर्माण विभाग क्र. 445-ए-20-ई, दिनांक 11.11.1942)

¹[(6–A) ''शुल्क'' से तात्पर्य ऐसे आवर्ती या अनावर्ती भुगतान से है जो किसी शासकीय सेवक को भारत या किसी राज्य की संचित निधि के अलावा अन्य किसी स्रोत से भुगतान किया जाता है, चाहे उसका भुगतान सीधे अथवा शासन के मार्फत किया जाता हो।

(7) ''बाह्य सेवा'' से तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें एक शासकीय सेवक, शासन की स्वीकृति से अपना मूल वेतन–(अ) परिषद के राज्य सचिव के राजस्व से भिन्न अथवा प्रान्तीय या रेलवे निधि के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से, अथवा (ब) कम्पनी जो रेलवे चला रही है, के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त करता है।

(8) '**'भारत की सामान्य राजस्व''** में स्थानीय शासन को बांटी गई राजस्व सम्मिलित है, परन्तु उसमें स्थानीय निधि सम्मिलित नहीं है।

¹[(9) '**'मानदेय''** से तात्पर्य ऐसे आवर्ती अथवा अनावर्ती भुगतान से है, जो एक शासकीय सेवक को भारत की अथवा किसी अन्य राज्य सरकार की संचित निधि से पारिश्रमिक के रूप में आकस्मिक अथवा संविराम विशेष कार्य के लिए भुगतान किया जाता है।]

(10) '**'पद ग्रहण काल''** से तात्पर्य उस काल से है, जो एक शासकीय सेवक को नये पद पर उपस्थित होने अथवा उस स्थान पर या जिस पर उसकी पद स्थापना की गई है, की यात्रा करने में लगने वाले समय से है।

(11) (विलोपित) वि.वि.क्र.बी. 22.6.94/चार, दिनांक 29.3.96)।

(12) ''अवकाश वेतन'' से तात्पर्य उस मासिक राशि से है जो शासन द्वारा अवकाश पर रहे शासकीय सेवक को दी जाती है।

(13) ''धारणाधिकार'' से तात्पर्य शासकीय सेवक के उस अधिकार से है जो वह तत्काल या अनुपस्थिति की अवधि या अवधियों की समाप्ति के बाद उस स्थाई पद जिसमें पदावधि पद भी सम्मिलित है, पर मौलिक रूप से नियुक्त होने के कारण प्राप्त करता है।

(14) "र्स्थानीय निधि" से अभिप्रेत है-

- (अ) उन निकायों द्वारा प्रशासित राजस्व जो विधि द्वारा अथवा विधि का बल रखने वाले नियमों द्वारा चाहे साधारणतया सभी कार्यवाहियों के बारे में या किन्हीं विनिर्दिष्ट विषयों जैसे बजट की मंजूरी, विशिष्ट पदों का सृजन या भरे जाने की मंजूरी या अवकाश, पेंशन या ऐसे ही नियमों के अधीन अधिनियम के बारे में सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, तथा
- (ब) किसी भी निकाय की राजस्व जो गवर्नर इन कौंसिल द्वारा विशेष रूप से ऐसी अधिसूचित की गई हो।
- (15) ''स्थानीय शासन'' इन नियमों के उद्देश्य के लिये इसमें प्रमुख आयुक्त सम्मिलित नहीं है।
- (16) (अ) ''सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारी'' से तात्पर्य कमीशन प्राप्त अधिकारी-
- (i) विभागीय कमीशन प्राप्त अधिकारी;
- (ii) भारतीय भैषजिक विभाग के कमीशन प्राप्त अधिकारी को छोड़कर इसमें वारन्ट आफिसर सम्मिलित नहीं है।

1. वि.वि. क्र. 3287-IV-R-II, दिनांक 7.8.1962 द्वारा जोड़ा गया।

परिभाषाएँ

मू.नि. 9

(ब) ''सैनिक अधिकारी'' से तात्पर्य सैनिक आयुक्त अधिकारी की परिभाषा में आने वाले कोई भी अधिकारी अथवा उपरोक्त (ए) के उपखण्ड (i) अथवा (ii) में सम्मिलित अधिकारी अथवा कोई वारण्ट अधिकारी।

(17) ''अनुसचिवीय कर्मचारी'' से तात्पर्य अधीनस्थ सेवा के ऐसे शासकीय सेवकों से हैं, जिनके कत्तव्य पूर्ण रूप से लिपिकीय हैं तथा/शासन के सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा किसी अन्य वर्ग

के कर्मचारियों को विशिष्टतः ऐसा पारिभाषित किया गया हो। स्थानीय शासन नियम-- सरकारी मुद्रणालय नागपुर के औद्योगिक कर्मचारी अर्थात् स्थाई वरिष्ठ

वेतन एवं अमानी कार्य कर्मचारी मूल नियम 56 के उद्देश्य के लिए लिपिक वर्गीय सेवक समझे जाते हैं। मूल नियम 86 के उपबंध, तथापि केवल वेतन प्राप्त औद्योगिक कर्मचारियों को लागू होते हैं जो कि मूल नियमों के अध्याय 10 में दिये गये अवकाश नियमों के अधीन हैं।

(18) ''मास'' से तात्पर्य कैलेण्डर महीने से है। महीनों और दिनों में व्यक्त की गई समयावधि की गणना प्रथमतः पूर्णमाह दिनों की संख्या को ध्यान दिये बिना गिना जाना चाहिए तथा उसके बाद शेष बचे

दिनों की गणना करनी चाहिए।

(19) ''स्थानापन्न'' एक शासकीय सेवक किसी पद पर तब स्थानापन्न होता है जब वह ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार है। स्थानीय शासन किसी भी कर्मचारी को यदि वह उचित समझे ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकता है जिस पर किसी

(20) ''समुद्रपार वेतन'' से तात्पर्य शासकीय सेवक के उस वेतन से है जो उसके इस विचार का धारणाधिकार न हो। के आधार पर स्वीकृत किया गया है कि वह अपने मूल निवास स्थान से भिन्न किसी अन्य देश में सेवा

(21) (अ) ''वेतन'' से तात्पर्य शासकीय सेवक द्वारा आहरित मासिक राशि से है, यथा-कर रहा है।

(i) उसकी वैयक्तिक योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत विशेष वेतन अथवा वेतन, जो कि उसे मौलिक रूप से या स्थानापन्न हैसियत में पद पर रहने के लिए कारण स्वीकृत किया गया है। अथवा संवर्ग में उसकी स्थिति के कारण व उसे पाने का पात्र है, को छोड़कर, वेतन;

(ii) तकनीकी वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, और समुद्रपार वेतन; तथा

(iii) राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत कोई अन्य उपलब्धियाँ।

(ब) सैनिक अधिकारी के मामले में जो पहली जुलाई, 1924 से प्रभावशील दर से वेतन प्राप्त कर

रहा है। वेतन की राशि में सम्मिलित है जो वह नीचे दिये गये पद नामों के अन्तर्गत मासिक रूप से प्राप्त

करता है-

(i) नियुक्ति वेतन, अस्थाई निवास भत्ता और विवाह भत्ता; एवं

(ii) श्रेणी वेतन, समादेश वेतन, अतिरिक्त वेतन, भारतीय सेना भत्ता, अस्थाई निवास भत्ता एवं

उन सैनिक अधिकारियों के मामले में जो 1 जुलाई, 1924 से पूर्व प्रवेश दर से वेतन प्राप्त कर रहे थे, वेतन में वह राशि सम्मिलित है जो नीचे दिये गये पदों के नाम पर मासिक रूप से प्राप्त करते हैं-

(i) सैनिक वेतन और भन्ता एवं स्टाफ वेतन;

(ii) भारतीय सैनिक वेतन एवं स्टाफ वेतन; एवं

the part of the

(iii) संचित वेतन।

रि

ने

रहे

या

लेत

1.

Б

Б

द्वारा : की

ायमों

त की

131

फेसर

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम

मू.नि. 9

मुनि,

तो प्रक

उसके

नहीं नि

अमिप्रे

धारणा

बढोत्तर्र

जो एव

भत्ते की

नियमों

अथवा

करने

स्थानी

बाधा न यह वि

है, अध किया

से ही |

गया है

आवश

FF FP

वैतन ।

लेखा।

भारत शासन आदेश 1– विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता वेतन समझा जायेः– 1 जनवरी, 1922 से उस उद्देश्य के लिये विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता वेतन समझा जायेगा।

(भारत सरकार, वित्त विभाग संकल्प क्र. 2685-एफ.ई. दिनांक 27.9.1921) भारत शासन आदेश 2- न्यायिक वेतन, वेतन कहलायेगा 1 जनवरी, 1922 से न्यायिक वेतन वेतन में वर्गीकृत किया जायेगा।

(भारत शासन, वित्त विभाग संकल्प क्र. 76–E-A, दिनांक 25. 1. 1922) भारत शासन आदेश 3– भाषा भत्ता, वेतन में समस्त वर्गीकृत भाषा भत्ता, ''भाषा–वेतन''-कहलायेगा एवं वेतन के रूप में वर्गीकृत होगा।

(भारत शासन, वित्त विभाग, संकल्प क्र. 1439 F.E., दिनांक 14.2.1922) भारत शासन आदेश 4– निवास भत्ता वेतन की गणना में शामिल है– निवास भत्ता भारत में प्रत्येक अधिकारी के वेतन का पूर्ण भाग है तथा वेतन की संगणना में शामिल है, जिसका आहरण सैनिक अधिकारी द्वारा विशेषाधिकार अवकाश के दौरान किया जावेगा।

(भारत शासन, वित्त विभाग, पत्र क्र. F-127-CSR 27, दिनांक 18.5.1927) भारत शासन आदेश 5- भिम्न भत्ते वेतन में वर्गीकृत किये जायेंगे-

- (अ) रुपये 200 प्रतिमाह कार्यभार भत्ता जो राजनैतिक विभाग के उन अधिकारियों को स्वीकृत किया जाता है जिन्होंने 9 वर्ष से कम की सेवा सिविल विभाग में की है, जब उसकी नियुक्ति ''उत्कृष्ट'' श्रेणी के पद पर की गई थी; एवं
- (ब) रुपये 150 एवं 300 का मासिक कार्यभार भत्ता जो प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों को दिया जाता है जो क्रमशः राजनैतिक विभाग में अवकृष्ट अथवा उत्कृष्ट पदों पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किये गये हैं।

(भारत शासन, वित्त विभाग संकल्प क्र. D-1958-R-H, दिनांक 18.7.1932) महालेखा परीक्षक अनुदेश 1- भाषा भत्ता कब वेतन एवं कब मानदेय माना जायेगा- यदि भाषा भत्ता एकमुश्त भत्ता है तो वह मूल नियम 46 के अन्तर्गत संव्यवहार किया जायेगा। यदि वह आवर्ती भुगतान है तो मूल नियम 9(21)(ए) के अन्तर्गत वेतन कहलायेगा।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2- रेल्वे कर्मचारियों के प्रभारी चिकित्सक का भत्ता कब ''विशेष वेतन'' माना जायेगा- भैषज अधिकारी जो रेलवे कर्मचारियों का प्रभारी है को यदि कोई भत्ता स्वीकार किया गया है, और वह सामान्य राजस्व से दिया जाता है तो उसका वर्गीकरण ''विशेष वेतन'' के रूप में दिया जायेगा। यदि वह कम्पनियों द्वारा दिया जाता है तब तक विशेष वेतन नहीं कहलायेगा जब तक अंशदान नहीं दिया जाता।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 3- मूल नियम 9(2) के नीचे महालेखा परीक्षक अनुदेश 6 देखिये।

रथानीय शासन नियम 1- शासकीय मुद्रणालय, नागपुर में अमानी कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में, जब उनकी नियुक्ति समयमान पद पर की जाये ''वेतन'' घण्टे की दर से दो सौ गुना के बराबर समझा जायेगा।

स्थानीय शासन नियम 2- उप-आयुक्त द्वारा अच्छा आचरण होने के कारण राजस्व निरीक्षकों को निरंतर अच्छा कार्य करने पर स्वीकृत किया गया अच्छा आचरण भत्ता मूल नियम 9(21)(ए) (iii) के अन्तर्गत ''वेतन'' के समान वर्गीकृत किया जायेगा।

(22) ''स्थाई पद'' से तात्पर्य पद जो एक निश्चित दर के वेतन में बिना किसी समय सीमा के स्वीकृत है। म.नि. १

(23) ''व्यक्तिगत वेतन'' से तात्पर्य अतिरिक्त वेतन जो शासकीय सेवक को स्वीकृत किया गया है-

11

(अ) पदावधि पद के अतिरिक्त स्थाई पद के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही के अन्यथा वेतन

के पुनरीक्षण अथवा ऐसे मौलिक वेतन में किसी हानि से उसे बचाने हेतु, या

(ब) आपवादिक परिस्थितियों में अन्य वैयक्तिक प्रतिफल पर।

(24) ''किसी पद का प्रकल्पित वेतन''– जब किसी कर्मचारी विशेष के संदर्भ में निकालना हो तो प्रकल्पित वेतन से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो उसे उस पद को मौलिक रूप से धारण करने और उसके कर्त्तव्य निष्पादन से प्राप्त होता; परन्तु जब तक कि कर्मचारी ऐसे अतिरिक्त कार्य का उत्तरदायित्व नहीं निभाता जिस हेतु उसे विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था, इसमें विशेष वेतन सम्मिलित नहीं होगा।

महालेखा परीक्षक अनुदेश– नियम के प्रथम भाग का विस्तार–– परिभाषा के प्रथम भाग से अभिप्रेत शासकीय सेवक जो कुछ समय के लिए पद से अनुपस्थित रहता है, तथापि उस पर वह अपना धारणाधिकार बनाये रखता है, के सम्बन्ध में शब्दों के प्रयोग को सुगम बनाने से हैं।

(25) ''विशेष वेतन'' से तात्पर्य किसी पद या शासकीय सेवक की उपलब्धियों में वेतन की उस बढोत्तरी से है जो निम्न प्रतिफल स्वरूप स्वीकृत किया जाता है-

(अ) विशेष रूप से दुष्कर प्रकार का कार्य; या

(ब) कार्य व उत्तरदायित्व में विशिष्ट वृद्धि;

(स) निरस्त (अधिसूचना क्र. 1291/आर–107/चार/नि–1/71, दिनांक 31.10.1972) राज्य सचिव आदेश 1– विलुप्त।

राज्य सचिव आदेश 2- विशेष वेतन तथा क्षतिपूर्ति भत्ते परस्पराश्रित नहीं- वे परिस्थितियाँ जो एक अधिकारी को विशेष वेतन स्वीकृत करना उचित ठहराती है, उनसे पूर्णतः भिन्न हैं जो क्षतिपूर्ति भन्ने की स्वीकृति को उचित ठहराती हैं, अन्तर जो उन शब्दों की परिभाषाओं को स्पष्ट करता है, मूल नियमों में सन्निहित है। उन परिभाषाओं की कठोरता से व्याख्या की जाना चाहिए तथा या तो विशेष वेतन अधवा क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति हेतु एक पूर्व इतिहास के समान उनमें वर्णित शर्तों का वास्तविक पालन अधवा क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति हेतु एक पूर्व इतिहास के समान उनमें वर्णित शर्तों का वास्तविक पालन अधवा क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति हेतु एक पूर्व इतिहास के समान उनमें वर्णित शर्तों का वास्तविक पालन करने की अपेक्षा है। क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति एक विषय है, जिस पर नियंत्रण करने के अधिकार स्थानीय शासनों को प्रत्यायोजित किये गये हैं, उनके विवेकपूर्ण उपयोग करने में राज्य सचिव साधारणतः वाधा नहीं डालेंगे। तथापि, राज्य सचिव स्पष्ट करना चाहते हैं कि उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह विशेष वेतन तथा क्षतिपूर्ति भत्ते के मध्य कोई आवश्यक परस्पराश्रित को मान्यता देने हेतु सक्षम नहीं है, अथवा इस बात से सहमत नहीं है कि जहाँ अधिकारी को जीवन निर्वाह के लिये क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदान किया जाता है तो वह इस कारण क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाती है कि वह पहले से ही विशेष वेतन पा रहा है जो कि उसके कार्यभार और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है अथवा (इस बात से भी सहमत नहीं है कि) चूँकि मूल नियम 9(5) में दी गई परिभाषा के अनुसार आवश्यक भिन्न कारणों से जो क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदान किया है, उसमें से मूल नियमों के शर्तों के आधार पर स्वीकृत विशेष वेतन कम किया जा सकता है।

(भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ-6C SR-26, दिनांक 4.5.1926)

स्थानीय शासन आदेश 1- विलुप्त।

Real of the second second

स्थानीय शासन आदेश 2- कारणों को अभिलिखित करना- जिन कारणों के आधार पर विशेष बेतन स्वीकृत किया गया है, उन्हें साधारणतः उसके आदेश में अभिलिखित किया जाना चाहिए ताकि लेखा परीक्षा कार्यालय इसका वर्गीकरण कर सके। उन मामलों में जहाँ शासकीय अभिलेख अनावृत्त करना

उस 21) वेतन

r. 9

122) तन''•

722)

त्रत्येक धकारी

927)

चीकृत नियुक्ति

रेयों को नापन्न

1932) दे भाषा भुगतान

''विशेष

स्वीकार के रूप जब तक

देखिये । र्मचारियों गुना के

ोक्षकों को । (iii) के

: सीमा के

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम

12

अवांछनीय प्रतीत हो तो कारणों को गोपनीय तौर पर लेखा अधिकारी को संसूचित किया जान चाहिए। (भारत शासन, वित्त विभाग पत्र क्रमांक एफ-9-CSR-27, दिनांक 15.2 1927)

स्थानीय शासन आदेश 3- मूल नियम 9(25) के खण्ड (अ) एवं (ब) के अधीन िशेष वेतन का निर्धारण तथा उसकी दर नियमित करने अथवा अन्यथा हेतु निम्नलिखित मापदण्ड का व ठोरता से पालन किया जाना चाहिए-

- (i) बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक दिये किसी भी शासकीय सेवक से जो एक समयमान देतन पर है किसी पद को भरा जा सकता है, बशतें कि उसे पूरे दिन से अधिक का काम नहीं दिया जाये। विशेष वेतन इस आधार पर न्यायसंगत नहीं माना जाना चाहिए कि एक समयमान में अमुक पद के कर्त्तव्य दूसरे समयमान के पदों की तुलना में मात्र कष्ट साध्य अथवा उत्तरवायित्व के हैं। यदि उसी संवर्ग के समस्त पदों के कर्त्तव्य आपस में अदला-बदली वाले हैं अर्धात् संवर्ग किसी भी सदस्य द्वारा एक दूसरे का कार्य किया जा सकता है। तो विशेष वेतन देना न्याय संगत नहीं होगा।
- (ii) जहाँ ऐसा करना मितव्ययिता की दृष्टि से उचित है, विशेष, वेतन स्वीकार किया ज सकता है। इस शीर्ष के अधीन दो प्रकार के मामले आते हैं–
 - (अ) जहाँ कत्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रकार का निश्चित विभेद करना सम्भव है वहाँ किसी दिये गये संवर्ग के समयमान से उच्च वेतन की दर पर विशेष पद निर्मित करने को अपेक्षा विशेष वेतन स्वीकृत करना सस्ता और प्रशासकीय रूप से अधिक सुविधाजनक है।
 - (ब) अस्थाई रिक्तियों में अथवा अस्थाई प्रबंध में कभी-कभी शासन के लिए शासकीय सेवक को पूरे दिन से अधिक के कार्य के लिए (यदाकदा अधिक काम के अवसर को छोड़कर जो शासकीय कार्य में प्रासंगिक होता है) अथवा वह कार्य जो उस प्रकार का कार्य नहीं है जिस प्रकार के काम के लिए शासकीय सेवक की नियुक्ति की गई थी, उस के बदले में अतिरिक्त कर्मचारी रखे जायें अथवा रिक्त स्थान को भरा जाये, विशेष वेतन स्वीकृत करना सस्ता है।
- (iii) विशेष वेतन नये वेतनमान के औसत का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् 1931 के वेतनमान का पद, जिस पद से संलग्न है, लागू होगा।

टिप्पणी- इस उद्देश्य के लिये श्रेणी का औसत निकालने के लिए साधारण सूत्र जो अपनाया जाना चाहिए-

औसत वेतन = न्यूनतम वेतन + श्रेणी का अधिकतम वेतन

2

(वित्त विभाग ज्ञाप क्र. 7013-969-R-VI-II/49, दिनांक 29.9. 1950)

स्थानीय शासन नियम– (निरस्त (वि.वि. क्रमांक 1654/3282, दिनांक 16.9.84) महालेखा परीक्षक अनुदेश– विशेष वेतन कब वेतन के प्रतिशत पर आधारित होगा जिसमे विदेशी स्टर्लिंग वेतन भी सम्मिलित हो–जब विशेष वेतन प्रतिशत के आधार पर अथवा वेतन के भाग में जामान्य क्रम में समाहित किया जाता है और साधारण क्रम के वेतन में स्टर्लिंग विदेशी वेतन भी शामिल ; ऐसा विशेष वेतन निम्न प्रकार निश्चित होना चाहिए– जाता हैं (((को प्रद (को प्रद (किया ग परिलब् में उसन् रहे सेव से दो र र रखने व के सम्ब भ निवास

मू.नि.

26

(: लिए स्ट (: अवधि टी (: न्यूनतम (र वृद्धि की

में रखते

are sa the ra A except

मू.नि. 9

. 9

款1 27)

ोतन

ा से

र है

ाये ।

मुक

त्र के

नंवर्ग

याय

कता

केसी

पेक्षा

青1

वक

उकर

नहीं

ादले

कृत

र्थात्

ज्ञाना

50)

fle5

गन्य

ऐसा

परिभाषाएँ

(अ) विशेष वेतन समुद्रपार स्टर्लिंग वेतन पर और साथ ही साथ रुपये के आधारित वेतन में दिया जाता है।

(ब) विशेष वेतन रुपये में अभिव्यक्त एवं प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(स) निरस्त (वि.वि. क्रमांक 1291/R-107/IV-R-I, दि. 31.10.72)

(26) निरस्त

(27) ''निर्वाह अनुदान'' से तात्पर्य उस मासिक अनुदान से है, जो किसी ऐसे शासकीय सेवक को प्रदान किया जाता है, जिसे वेतन या अवकाश वेतन न मिल रहा हो।

(28) ''मौलिक वेतन'' से तात्पर्य है विशेष वेतन जो वेतन के उच्च वेतनमान के बदले स्वीकृत किया गया है, व्यक्तिगत वेतन अथवा नियम 9(12) (अ) (iii) के अधीन वेतन के समान वर्गीकृत परिलब्धियाँ जिसके लिये शासकीय सेवक जिस पर उसकी स्थाई नियुक्त हुई है के कारण अथवा संवर्ग में उसकी स्थिति के कारण पाने का पात्र है, को सम्मिलित करते हुए वेतन।

रथानीय शासन नियम 1- शासकीय मुद्रणालय, नागपुर में स्थाई रूप से अमानी पर कार्य कर रहे सेवकों के मामले में, जब वे समयमान में नियुक्त किये जाते हैं, ''मौलिक वेतन'' उसके घण्टे की दर से दो सौ गुना के बराबर माना जायेगा।

स्थानीय शासन नियम 2- राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन स्थाई पद पर धारणाधिकार रखने वाले शासकीय सेवकों के मामले में ''मौलिक वेतन'' से तात्पर्य होगा मौलिक वेतन जैसा कि शासन के सम्बन्धित नियमों में परिभाषित किया गया है।

भारत शासन आदेश-- सेना में सैनिक अधिकारियों को प्राप्त होने वाला विवाह भत्ता एवं अस्थाई निवास भत्ता, जब तक उसे वेतन का भाग समझा जाता है, तब तक मौलिक वेतन की परिभाषा में आयेगा। (भारत शासन निर्णय जो महालेखा परीक्षा पत्र क्र. 736-ए-289-36,

दि. 10.8.1936 में शामिल)

(29) ''तकनीकी वेतन'' से तात्पर्य ऐसे स्वीकृत वेतन से है जो शासकीय सेवक को यह ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया जाता है कि उसने यूरोप में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(30) ''अस्थाई पद'' से तात्पर्य उस पद से है जो एक निश्चित वेतन दर में सीमित अवधि के लिए स्वीकृत है।

(30-क) ''पदावधि पद'' से तात्पर्य उस स्थायी पद से है जिसे कोई एक शासकीय सेवक सीमित अवधि से अधिक धारण नहीं कर सकता है।

टीप- एँका के मामलों में स्थानीय शासन तय करेगा कि कोई पद पदावधि है अथवा नहीं।

(31-अ) ''समयमान वेतन'' से तात्पर्य उस वेतन से है, जो आवधिक वेतन वृद्धियों के साथ न्युनतम से अधिकतम तक बढ़ता है।

(ब) ''एकरूप समयमान'' – समयमान तभी एकरूप कहा जाएगा, जब न्यूनतम, अधिकतम, वेतन वृद्धि की अवधि व दर एक समान हो।

शासन स्पष्टीकरण

Madhya Pradesh Fundamental Rule 9(31)(b) provide that the time scales are said to be identical, if the maximum, minimum and period of increment and the rate of increment of the time scales are identical.

A point has been raised whether pay scales are identical in all respect excepting the efficient bar should be treated as identical or not. It has been

High Court of Madhya Pradesh Jabalpus. (17: Wn't Petition No. - 198/1999 Mansukh Lal Sazaf V15 Arun Kymas Tiwari & othus Decision dated: - 6.8.2015 the concerned department of the State. If the Secretary of the

concerned department after due verification, is of the opinion that any appointment in his department has been made without following the selection process prescribed in the relevant recruitment rules, must take the same action as we propose to direct in respect of respondent No.1. The Secretary of the concerned Department shall conduct enquiry into the illegal appointments (made without following the selection procedure prescribed in the relevant Rules framed in that behalf), in a time bound manner preferably within four months and submit report in that behalf to the Chief Secretary within such time. The Chief Secretary in turn must initiate the process for revoking all such illegal appointments either by issuing a general Government order or on case to case basis, as may be advised. That, however, must be done within four weeks after expiry of four months period given to the Secretary of the respective Department to submit their report to the Chief Secretary.

47. By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the selection process prescribed by the relevant recruitment rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its

+13 29

42

inception and would stand annulled forthwith. However, we may leave the passing of a formal general Government order for revocation of all such appointments or on case to case basis, to be issued by the Appropriate Authority of the State Government. Now reverting to the appointment of respondent No.1, 48. since we have held that the same is capricious, arbitrary and illegal, having been made against the statutory rules and also intended to defeat the judgment of this Court, in our opinion, not only the appointment order deserves to be quashed and set aside but it is necessary to also clarify that the respondent No.1 shall not be extended any other service benefits as given to regular appointees - as a consequence of quashment of his appointment order, in any manner. In that, the initial appointment will have to be treated as nonest in law from its very inception, being the product of fraud played on the statute to which the respondent No.1 was equally responsible. The period for which the respondent No.1 has worked on the post be treated only as a contractual appointment without accrual of any other rights, until this order of quashing his appointment is passed today. The fact that the respondent No.1 has been in service for quite some time can be no reason to take a lenient view, as from the

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

SPECIAL LEAVE PETITION (C) NO. 6697/2016

M.P. Nagar Nigam, Nagar Palika Karamchari Sangh ... Petitioner

versus

Mansukh Lal Saraf and others

WITH

SPECIAL LEAVE PETITION(C) NO. /2017 (CC No.3582)

Arun Kumar Tiwari

versus

Mansukh Lal Saraf and others

ORDER

SLP(C) No. 6697/2016

1. During the course of hearing, learned counsel for the petitioner, namely, the Madhya Pradesh Nagar Nigam, Nagar Palika Karamchari Sangh states, that the petitioner does not wish to assail the determination rendered by the High Court, with reference to Arun Kumar Tiwari (respondent no.1, before the High Court).

2. Learned counsel for the petitioner states, that the senter Manufactioner is only aggrieved with the direction contained in the 20 Mar 20

below:

"(iv) The Chief Secretary of the State of Madhya

..Respondents

..Respondents

.. Petitioner

Pradesh shall call upon the Secretary of the respective departments of the State, to enquire into whether any employee in his Department has been or was appointed on regular basis without following the selection process prescribed in the relevant rules framed therefor after coming into force of such rules; and to proceed against all persons as also against the person(s) such responsible for making such appointment, in accordance with law; and submit report in that behalf to the Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh within four months from today. The Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh must then initiate necessary proposal for issuance of a general Government order or on case to case basis, to formally revoke all such illegal appointments made in similar manner without following the selection procedure prescribed by the relevant recruitment rules. The services rendered by such persons consequential to revocation of appointment be treated as only contractual appointment during the relevant period and that no other benefit shall be given or will accrue to them as in the case of regular appointee appointed as per the prescribed selection process for recruitment.

3. We find no infirmity in the aforesaid direction. We would however like to clarify, that the expression "...in accordance with law..." used by the High Court in the above direction, would necessarily mean, that in case any action is to be taken against a particular individual employee, it will be necessary for the authorities to proceed against him by issuing a notice to him and affording an opportunity of hearing, as is contemplated under the rules of natural justice. We wish to further clarify, that the expression "...in accordance with law..." would protect all such employees whose appointments have been made in consonance with the statutory provisions, or under a valid policy decision of the State Government, and/or in consonance with a judgment rendered on the

subject of regular appointment, or regularization of appointment.

Disposed of in the aforesaid terms.

SLP(C) Nos. /2017(CC 3582/2017)

1. Delay condoned.

2. Having heard learned counsel for the petitioner, we find no justification whatsoever to interfere with the impugned orders passed by the High Court. It is however pertinent to mention, that the petitioner was appointed on regular basis in the Department of Water Resources on 21.05.1998. He continued to discharge his duties in the above capacity, till his appointment in the Department of Water Resources was set aside, by the impugned judgment rendered by the High Court (in Writ Petition No. 198 of 1999, on 6.8.2015). The High Court observed in paragraph 48 of the impugned judgment, as under:

> "... The period for which the respondent no.1 has worked on the post be treated only as a contractual appointment without accrual of any other rights, until this order of quashing his appointment is passed today...."

3. In terms of the aforesaid observation, it may well have been possible for the employer, to recover the balance of the dues paid to Arun Kumar Tiwari, whatever additional remuneration was paid to him as a regular employee, in excess of his entitlement as a daily wage employee. We are of the view, that such a determination at the hands of the employer, would be too harsh, as that would entail recoveries commencing from the period of his regular appointment under the Department of Water Resources, with effect from 21.5.1998. It is therefore, that we are constrained to

direct, that no recoveries would be made from the petitioner, with reference to the emoluments that were paid to him in furtherance of the letter of appointment dated 21.5.1998, till the passing of the impugned judgment on 6.8.2015.

Disposed of in the aforesaid terms.

[JAGDISH SINGH KHEHAR]

[Dr. D.Y. CHANDRACHUD]

[SANJAY KISHAN KAUL]

NEW DELHI; APRIL 18, 2017.

Anexue

REPORTABL

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO.1187 OF 2009 (Arising out of SLP(c) No.24124 of 2004)

STATE OF KARNATAKA & ORS.

... APPELLANTS

VERSUS

SRI G.V. CHANDRASHEKAR

... RESPONDENT

WITH

C.A. Nos.1190-1247/2009 @ SLP(C) No.24985-25042/2004 C.A. No.1265/2009 @ SLP(C) No.12223/2006 C.A. Nos.1266-1270/2009 @ SLP(C) Nos.15115-15119/2004 C.A. Nos1271-1274/2009 @ SLP(C) Nos.16273-16276/2004 C.A. Nos1275-1283/2009 @ SLP(C) Nos.17865-17873/2004 C.A. Nos1284-1291/2009 @ SLP(C) Nos. 16527-16534/2004 C.A. No1292/2009 @ SLP(C) No.11893/2006 C.A. No.1293/2009 @ SLP(C) No.11894/2006

JUDGM ENT

S.B. Sinha, J.

1. Leave granted.

2. These appeals involving similar questions of law and facts were taken up for hearing together and are being disposed of by this common judgment.

The short question which arises for consideration 1 arein is as to whether the respondents herein having been appointed on an ad-hoc basis could be treated to have been regularized in their services.

We may notice individual fact of the matters before us:-

Civil Appeal arising out of SLP(C) No.24124/2004

Respondent herein was appointed as a Typist on 5.9.1985 and worked for more than ten years without break in ervice. Under these circumstances, he sought direction from appellants herein to regularize his services with all consequential benefits. His claim was denied by the appellants. Aggrieved by the same, respondent approached the Karnataka Administrative Tribunal which by its order dated 22 9.2003 directed that the question of regularization of the services of the respondent be examined by the appellants with reference to records and decision thereon be taken within 90 days thereafter. Challenging the order of the tribunal, appellant-State approached the High Court which by its order dated 9.8.2004 dismissed the same and directed the appellant to consider the claim of the respondent in terms of the judgment in Premakala Shetty vs. Common Cadre Committee.

Civil Appeals arising out of SLP(C) No.24985-25042/2006

Respondents were working in the Forest Department for over ten years as gate watchman, driver, wireless operator and computer operator and sought for regularization of their services from the authorities of the department with all consequential benefits. Their claim was denied by the appellants. Aggrieved by the same, respondents approached the Karnataka Administrative Tribunal which by its order dated 24.9.2003 directed that the question of regularization of the services of the respondent be examined by the appellants with reference to records and decision thereof may be taken within 90 days. Challenging the order of the Tribunal appellant State approached the High Court which dismissed the writ petition by reason of an order dated 21.7.04 and directed the appellant to consider the claim of the respondents following the judgment in Premakala Shetty vs. Common Cadre Committee.

Civil Appeal arising out of SLP(C) No.12223/2006

37) (1797) (1797)

Respondents were appointed as sweepers on 1.4.1980 and 29.4.1978 respectively and sought for regularization of their services with all consequential benefits as they had put in more than ten years of service. Their claim was denied by the appellants. Aggrieved by the same, respondents approached the Karnataka Administrative Tribunal which by its order dated 10.1.2003 directed that regularization of the respondents be made from the day they had completed 10 years of continuous service, as against the posts on which they had been irregularly recruited, with all consequential benefits. Challenging the order of the Tribunal, appellant State approached the High Court, by filing a writ petition which dismissed the writ petition by reason of an order dated 5.1.2004 directing it to consider the claim of the respondents following the judgment in State of Karnataka, By Secretary Forest Department, Bagalore and Ors. vs. T.B. Manjunath and Ors. and Premakala Shetty vs. Common Cadre Committee.

Civil Appeals arising out of SLP(C) Nos.15115-15119/2004

Respondents herein have been working as Forest Watchers for more than 10 years, having been inducted as daily wagers. As their applications

4

Elect

THE STATE

and the second

and the second

-

for regularization was rejected by the appellants, they approached the Karnataka Administrative Tribunal which by its order dated 19.12.2002 directed that in the event of respondents filing fresh application with supportive evidence, their claim for regularization may be taken up and appropriate orders thereon may be passed within three months from the date of representation. Challenging the order of the Tribunal, appellant State approached the High Court by filing a writ petition which rejected the writ petition by reason of an order dated 28.1.04 and directing it to consider the claim of the respondents following the judgment in State of Karnataka, By Secretary Forest Department, Bangalore and Ors. vs. T.B. Manjunath and Ors. and Premakala Shetty vs. Common Cadre Committee.

Civil Appeals arising out of SLP(C) Nos.16273-16276/2004

Respondents have been working as mazdoors and sought for regularization of their services having completed more than 10 years of service. As their applications for regularization was denied by the appellants, they approached the Karnataka Administrative Tribunal which by its order dated 24.7.2003 directed that the claim of the respondents be



examined and decided within 90 days from the date of receipt of the order and in the event of having completed 10 years of service, on any subsequent date, on any day prior to or after the date of filing of the application, the appellants shall consider the claim for regularization. Challenging the order of the Tribunal, appellant State approached the High Court, by way of writ which was rejected by reason of order dated 28.1.2004 and directing it to consider the claim of the respondents following the judgment in State of Karnataka, By Secretary Forest Department, Bangalore and Ors. vs. T.B. Manjunath and Ors. and Premakala Shetty vs. Common Cadre Committee.

6


1

Civil Appeals arising out of SLP(C) Nos.17865-17873/2004

Respondents were appointed as forest watcher, literate Assistant and Board Driver and sought for regularization of their services with all consequential benefits. As their applications for regularization was denied by the appellants, they approached the Karnataka Administrative Tribunal which ordered on 11.11.2002 that the appellants shall consider the claim of the respondents but subject to verification of the claim of their having completed ten years of continuous service be examined and decided within 90 days from the date of receipt of the order. Challenging the order of the Tribunal, appellant State approached the High Court by way of a writ petition which was rejected by reason of order dated 12.1.2004 and directing it to consider the claim of the respondents in terms of judgment in State of Karnataka, By Secretary Forest Department, Bangalore and Ors. vs. T.B. Manjunath and Ors. and Premakala Shetty vs. Common Cadre Committee and directed to comply with the order within two months.

Civil Appeals arising out of SLP(C) Nos. 16527-16534/2004

Respondents herein were appointed as first division assistant, stenographer, watchman and have approached the KAT for their regularization of their services. The Tribunal by way of order dated 23.9.03 allowed the application of the respondents herein and directed compliance within 90 days from the date of receipt of the order. Challenging the order of the Tribunal, appellant State approached the High Court by way of a writ



petition which was rejected by reason of order dated 17.3.2004 and directing it to consider the claim of the respondents.

Civil Appeal arising out of SLP(C) No.11893/2006

alian a

NO.

Star Linda

HERR

No.

-

Respondent's husband was appointed a Driver on 30.5.1980 and he died on 15.8.92. Respondent sought for regularization of his services with all consequential benefits. The Tribunal on 10.7.2003 relying upon the decision on Bidu vs. State of Karnataka (ILR 2000 KAR 2405) directed to pass appropriate orders within 90 days, including consideration of claim for compassionate appointment. Challenging the order of the Tribunal the appellants came up with a writ petition before the High Court which was dismissed by reason of order dated 9.11.2004, placing reliance on State of Karnataka vs. Karnataka Casual and Daily rated workers' Union (ILR 2001 KAR 1178), Himachal Pradesh vs. Suresh Kumar [(AIR 1986 SC 1565] and Randhir Singh, D.S. Nakara, Dharwad etc.

Civil Appeal arising out of SLP(C) No.11894/2006

Respondents herein were appointed as literate assistant, hand-pump helper, typist and sought for regularization of services with all

consequential benefits from their authorities. The High Court dismissed the writ petition filed by the State, which challenged the Tribunal's order dated 09.06.2003 and directed the appellant to consider the claim of the respondents.

3. Indisputably, a Constitution Bench of this Court in <u>Secretary. State of</u> <u>Karnataka & ors. vs. Umadevi (3) & ors.</u> [(2006) 4 SCC 1] having regard to the provisions contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India opined that any appointment made in contravention of any recruitment rules framed in terms of the proviso appended to Article 309 of the Constitution of India would be wholly illegal and without jurisdiction, holding:

> "26. With respect, why should the State be allowed to depart from the normal rule and indulge in temporary employment in permanent posts? This Court, in our view, is bound to insist on the State making regular and proper recruitments and is bound not to encourage or shut its eyes to the persistent transgression of the rules of regular recruitment. The direction to make permanentthe distinction between regularisation and making permanent, was not emphasised here-can only encourage the State, the model employer, to flout its own rules and would confer undue benefits on a few at the cost of many waiting to compete. With respect, the direction made in para 50 (of SCC) of Piara Singh [(1992) 4 SCC 118] is to some extent inconsistent with the conclusion in para 45 (of

9

(02)

-

SCC) therein. With great respect, it appears to us that the last of the directions clearly runs counter to the constitutional scheme of employment recognised in the earlier part of the decision. Really, it cannot be said that this decision has laid down the law that all ad hoc, temporary or casual employees engaged without following the regular recruitment procedure should be made permanent.

It is not necessary to notice all the decisions 33. of this Court on this aspect. By and large what emerges is that regular recruitment should be insisted upon, only in a contingency can an ad hoc appointment be made in a permanent vacancy, but the same should soon be followed by a regular recruitment and that appointments to non-available be taken note of for should not posts regularisation. The cases directing regularisation have mainly proceeded on the basis that having permitted the employee to work for some period, he should be absorbed, without really laying down any law to that effect, after discussing the constitutional scheme for public employment.

43. Thus, it is clear that adherence to the rule of equality in public employment is a basic feature of our Constitution and since the rule of law is the core of our Constitution, a court would certainly be disabled from passing an order upholding a violation of Article 14 or in ordering the overlooking of the need to comply with the requirements of Article 14 read with Article 16 of the Constitution. Therefore, consistent with the scheme for public employment, this Court while laying down the law, has necessarily to hold that unless the appointment is in terms of the relevant rules and after a proper competition among qualified persons, the same would not confer any right on the appointment comes to an end at the end of the contract, if it were an engagement or appointment on daily wages or casual basis, the same would come to an end when it is discontinued. Similarly, a temporary employee

136) (+85-

could not claim to be made permanent on the expiry of his term of appointment. It has also to be clarified that merely because a temporary employee or a casual wage worker is continued for a time beyond the term of his appointment, he would not be entitled to be absorbed in regular would not be entitled to be absorbed in regular service or made permanent, merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as envisaged by the relevant rules. It is not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of temporary employees whose period of employment has come to an end or of ad hoc employees who by the very nature of their appointment, do not acquire any nature of their appointment, do not acquire any right. The High Courts acting under Article 226 of the Constitution, should not ordinarily issue directions for absorption, regularisation, or directions for absorption, regularisation, or permanent continuance unless the recruitment itself was made regularly and in terms of the constitutional scheme. Merely because an employee had continued under cover of an order of the court, which we have described as "litigious employment" in the earlier part of the judgment, he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in the service. In fact, in such cases, the High Court may not be justified in issuing interim directions since after justified in issuing interim directions, since, after all, if ultimately the employee approaching it is found entitled to relief, it may be possible for it to mould the relief in such a manner that ultimately no prejudice will be caused to him, whereas an interim direction to continue his employment would hold up the regular procedure for selection or impose on the State the burden of paying an employee who is really not required. The courts must be careful in ensuring that they do not interfere unduly with the economic arrangement of its affairs by the State or its instrumentalities or its affairs by the State or its instrumentalities or lend themselves the instruments to facilitate the bypassing of the constitutional and statutory mandates.

11

157

While saying so, however, the Constitution Bench with a view to give some relief to those employees in respect of whom the process of regularization had been completed and by way of one time measure, held as


under :-

1

* * * * *

"53. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments (not illegal appointments) as explained in S.V. Narayanappa, R.N. Nanjundappa and B.N. Nagarajan and referred to in para 15 above, of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made and the employees have continued to work for ten years or more but without the intervention of orders of the courts or of tribunals. The question of regularisation of the services of such employees may have to be considered on merits in the light of the principles settled by this Court in the cases abovereferred to and in the light of this judgment. In that context, the Union of India, the State Governments and their instrumentalities should take steps to regularise as a one-time measure, the services of such irregularly appointed, who have worked for ten years or more in duly sanctioned posts but not under cover of orders of the courts or of tribunals and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up, in cases where temporary employees or daily wagers are being now employed. The process must be set in motion within six months from this date. We also clarify that regularisation, if any already made, but not sub judice, need not be reopened based on this judgment, but there should be no further bypassing of the constitutional requirement and regularising or making permanent, those not duly appointed as per the constitutional scheme."

45



4. The question which arises for consideration herein is as to whether having regard to the aforementioned law as laid down by the Constitution Bench the respondents herein are entitled to any relief or not.

Mr. Sanjay R. Hegde, learned counsel appearing on behalf of the appellants and Mr. Girish Ananthamurthy, learned counsel appearing on behalf of the respondents, on the other hand, relied upon two orders passed by this Court; one dated 17.11.2006 in Civil Appeal No. 3956 of 2001 - <u>Madanbi</u> vs. <u>Director of Horticulture & Ors</u>., wherein all appeals have been allowed following <u>Umadevi</u> (supra), whereas in order dated 19.2.2007 in Civil Appeal No.838 of 2007 - <u>State of Karnataka & Anr.</u> vs. <u>S.K. Halappa & Ors</u>. another Division Bench of this Court directed as under::-

"We have perused the order passed by the High Court dated 29.3.2004 whereby the Division Bench has directed that Government will consider each case independently in accordance with law, within ten weeks from today for regularization. Suffice it to say that Respondent No.1 (herein) was appointed on a daily wages and he continued for quite some time and thereafter he filed writ petition before the High Court for regularization on permanent basis with all consequential benefits. The High Court directed the State to consider the case of Respondent No.1 in accordance with law

1110

TSUR!

and a

and within 10 weeks. Aggrieved against this order, the State is in appeal by way of special leave petition. We have heard learned counsel for the parties and perused the record. In our view, the point involved in this appeal has been decided by this Court in the case of Secretary, State of Karnataka and Others vs. Uma Devi(3) and Others, (2006) 4 SCC 1. The regularization has now been held to be bad in law. But certain observations have been made in the aforesaid judgment. Therefore, in the fitness of things, we set aside the order of the High Court and remit the matter back to the High Court for fresh consideration in light of the law laid down in Uma Devi's case (supra)"

5. Our attention has also been drawn to the order dated 9.6.2003 passed by the learned single judge of the High Court of Karnataka, Bangalore in Writ Petition Nos. 10332-10342 of 2003 (S-Reg) by Mr. Anatha Murthy, which reads as under:-

"1. The respondents are directed to consider the cases of the petitioners who have completed ten years of continuous service for regularization subject to the petitioners fulfilling the eligibility criteria for the posts to which they seek regularization.

2. In the event of any of the petitioners being found not to have the qualification for regularization to the post in which they are

14

150 (-189-)

+6t,

presently working, they may be considered for regularization to the next lower post for which they have qualification or they should be given a reasonable time for acquiring the qualification. The respondents may not dispense their services merely on the ground that they do not have necessary qualification.

3. The respondents may also consider the request of the petitioners for extension of regular pay scales applicable to regular employees discharging the same functions, wherever such pay scales are not extended already.

4. The respondents are given three months time from today to comply with the direction given above."

6. Interpretation of Para 53 in Umadevi's case (supra) had come up for

consideration before this Court in a large number of decisions.

In <u>Mineral Exploration Corpn. Employees' Union vs. Mineral</u> <u>Exploration Corpn. Ltd. [(2006) 6 SCC 310]</u> wherein this Court, while following Umadevi (3) (supra), invoked para 53 of the said decision to opine:

"39. We, therefore, direct the Tribunal to decide the claim of the workmen of the Union strictly in accordance with and in compliance with all the directions given in the judgment by the Constitution Bench in Secy., State of Karnataka v. Umadevi (3) (supra) and in particular, paras 53 and 12 relied on by the learned Senior Counsel appearing for the Union. The Tribunal is directed to dispose of the matter afresh within 9 months from the date of receipt of this judgment without being influenced by any of the observations made by us in this judgment. Both the parties are at liberty to submit and furnish the details in regard to the names of the workmen, nature of the work, pay scales and the wages drawn by them from time to time and the transfers of the workmen made from time to time, from place to place and other necessary and requisite details. The above details shall be submitted within two months from the date of the receipt of this judgment before the Tribunal."

However, in National Fertilizers Ltd. & ors. vs. Somvir Singh (2006)

5 SCC 493, this Court held:-

"23. The contention of the learned counsel appearing on behalf of the respondents that the appointments were irregular and not illegal, cannot be accepted for more than one reason. They were appointed only on the basis of their applications. The Recruitment Rules were not followed. Even the Selection Committee had not been properly constituted. In view of the ban on employment, no recruitment was permissible in law. The reservation policy adopted by the appellant had

not been maintained. Even cases of minorities had not been given due consideration.

(192), 50

)

163

xxx xxx xxx 25. Judged by the standards laid down by this Court in the aforementioned decisions, the appointments of the respondents are illegal. They do not, thus, have any legal right to continue in service.

26. It is true that the respondents had been working for a long time. It may also be true that they had not been paid wages on a regular scale of pay. But, they did not hold any post. They were, therefore, not entitled to be paid salary on a regular scale of pay. Furthermore, only because the respondents have worked for some time, the same by itself would not be a ground for directing regularization of their services in view of the decision of this Court in Umadevi(3)"

In State of M.P. & Ors. vs. Lalit Kumar Verma [(2007) 1 SCC 575],

this Court held:-

ER.

220

-

"20. The decision to implement the judgment was evidently subject to the decision of this Court. But, the Special Leave Petition is barred by limitation. The question, *inter alia*, which arises for consideration before us is as to whether we should condone the delay or allow the respondent to continue to occupy the permanent post. 21. The legal position somehow was uncertain before the decision rendered by the Constitution Bench of this Court in Uma Devi (3) (supra). It has categorically been stated before us that there was no vacant post in the department in which the respondent could be reinstated. The State had also adopted a policy decision regarding regularisation. The said policy decision has also no application in the case of the respondent. Even otherwise, it would be unconstitutional being hit by Article 16 of the Constitution of India."

In Punjab Water Supply & Sewerage Board vs. Ranjodh Singh & ors.,

[(2007) 2 SCC 491], this Court held:-

"19. In the instant case, the High Court did not issue a writ of mandamus on arriving at a finding that the respondents had a legal right in relation to for regularization, which it was their claim It proceeded to issue the obligated to do. directions only on the basis of the purported policy decision adopted by means of a circular letter and, as noticed hereinbefore, even a policy decision adopted in terms of Article 162 of the Constitution of India in that behalf would be void. Anv departmental letter or executive instruction cannot prevail over statutory rule and constitutional provisions. Any appointment, thus, made without following the procedure would be ultravires."

193,51

[(2007) 5 SCC 317], this Court held as under:-

IEX

-

•

-

-

-

-

-

"20. The statement of law contained in para 53 of *Umadevi (3)*cannot also be invoked in this case. The question has been considered by this Court in a large number of decisions. We would, however, refer to only a few of them.

21. In Punjab Water Supply & Sewerage Board v. Ranjodh Singh referring to paras 15, 16 and 53 of Umadevi (3) this Court: (SCC pp. 500-01 paras 17-18)

"17. A combined reading of the aforementioned paragraphs would clearly indicate that what the Constitution Bench had in mind in directing regularisation was in relation to such appointments, which were irregular in nature and not illegal ones.

18. Distinction between irregularity and illegality is explicit. It has been so pointed out in *National Fertilizers Ltd.* v. *Somvir Singh* in the following terms: (SCC pp. 500-01, paras 23-25)

^{23.} The contention of the learned counsel appearing on behalf of the respondents that the appointments were irregular and not illegal, cannot be accepted for more than one reason. They were appointed only on the basis of their applications. The Recruitment Rules were not followed. Even the Selection Committee had not been properly constituted. In view of the ban on employment, no recruitment was permissible in law. The reservation policy adopted by the appellant had not been maintained.

(195

24. The Constitution Bench thought of directing regularisation of the services only of those employees whose appointments were irregular as explained in *State of Mysore* v. *S.V. Narayanappa*, *R.N. Nanjundappa* v. *T. Thimmiah* and *B.N. Nagarajan* v. *State of Karnataka* wherein this Court observed: [Umadevi (3) case, SCC p. 24, para 16]

> "16. In B.N. Nagarajan v. State of Karnataka this Court clearly held that the words 'regular' or 'regularisation' do not connote permanence and cannot be construed so as to convey an idea of the nature of tenure of appointments. They are terms calculated to condone any procedural irregularities and are meant to cure only such defects as are attributable to methodology followed in making the appointments."

25. Judged by the standards laid down by this Court in the aforementioned decisions, the appointments of the respondents are illegal. They do not, thus, have any legal right to continue in service.'

(See also State of M.P. v. Yogesh Chandra Dubey and State of M.P. v. Lalit Kumar Verma.)

THE R

HIE!

The controversy, if any, in our opinion, has been given a quietus by a three Judge Bench of this Court in <u>Official Liquidator</u> vs. <u>Dayanand & ors.</u> [(2008) 10 SCC 1], holding:

"75. By virtue of Article 141 of the Constitution, the judgment of the Constitution Bench in Secretary, State of Karnataka v. Uma Devi (3) is binding on all the courts including this Court till the same is overruled by a larger Bench. The ratio of the Constitution Bench judgment has been followed by different two-Judges Benches for declining to entertain the claim of regularization of service made by ad hoc/temporary/ daily wage/casual employees or for reversing the orders of the High Court granting relief to such employees - Indian Drugs and Pharamaceuticals Ltd. v. Workmen [(2007) 1 SCC 408], Gangadhar Pillai v. Siemens Ltd. [(2007) 1 SCC 533], Kendriva Vidvalava Sangathan L.V.v. Subramanyeswara [(2007) 5 SCC 326], Hindustan Aeronautics Ltd. v. Dan Bahadur Singh [(2007) 6 SCC 207]. However, in U.P. SEB v. Pooran Chand Pandey (2007) 11 SCC 92 on which reliance has been placed by Shri Gupta, a two-Judges Bench has attempted to dilute the Constitution Bench judgment by suggesting that the said decision cannot be applied to a case where regularization has been sought for in pursuance of Article 14 of the Constitution and that the same is in conflict with the judgment of the seven-Judges Bench in Maneka Gandhi v. Union of India[(1978) 1 SCC 248]."

THE

The Court noticed that in <u>U.P. SEB</u> v. <u>Pooran Chandra Pandey</u> (supra), this Court held:

"18. We may further point out that a seven-Judge Bench decision of this Court in Maneka Gandhi v. Union of India has held that reasonableness and non-arbitrariness is part of Article 14 of the Constitution. It follows that the Government must act in a reasonable and non-arbitrary manner otherwise Article 14 of the Constitution would be violated. Maneka Gandhi case is a decision of a seven-Judge Bench, whereas Umadevi (3) case is a decision of a five-Judge Bench of this Court. It is well settled that a smaller Bench decision cannot override a larger Bench decision of the Court. No doubt, Maneka Gandhi case does not specifically deal with the question of regularisation of government employees, but the principle of reasonableness in executive action and the law which it has laid down, in our opinion, is of general application."

(Emphasis supplied)

However, the said observations were not called for.

The Bench noticed several judgments/orders of different Benches taking a view contrary to <u>Uma Devi (3)</u> (supra) to opine that those cases

22

56 (198)

were illustrative of non-adherence to the rule of judicial discipline which is

sine qua non for sustaining the system. It was opined:

7

"90. We are distressed to note that despite several pronouncements on the subject, there is substantial increase in the number of cases involving violation of the basics of judicial discipline. The learned Single Judges and Benches of the High Courts refuse to follow and accept the verdict and law laid down by coordinate and even larger Benches by citing minor difference in the facts as the ground for doing so. Therefore, it has become necessary to reiterate that disrespect to constitutional ethos and breach of discipline have grave impact on the credibility of judicial institution and encourages chance litigation. It must be remembered that predictability and certainty is an important hallmark of judicial jurisprudence developed in this country in last six decades and increase in the frequency of conflicting judgments of the superior judiciary will do incalculable harm to the system inasmuch as the courts at the grass root will not be able to decide as to which of the judgments lay down the correct law and which one should be followed.

91. We may add that in our constitutional set up every citizen is under a duty to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions. Those who have been entrusted with the task of administering the system and operating various constituents of the State and who take oath to act in accordance with the Constitution and uphold the same, have to set an example by exhibiting total commitment to the Constitutional ideals. This principle is required to be observed with greater rigour by the members of judicial fraternity who have been bestowed with the power to adjudicate upon important constitutional and legal issues and protect and preserve rights of the individuals and society as a whole. Discipline is sine qua non for effective and efficient functioning of the judicial system. If the Courts command others to act in accordance with the provisions of the Constitution and rule of law, it is not possible to countenance violation of the constitutional principle by those who are required to lay down the law.

92. In the light of what has been stated above, we deem it proper to clarify that the comments and observations made by the two-Judges Bench in U.P. State Electricity Board v. Pooran Chandra Pandey (supra) should be read as obiter and the same should neither be treated as binding by the High Courts, Tribunals and other judicial foras nor they should be relied upon or made basis for bypassing the principles laid down by the Constitution Bench."

We feel bound by the observations made therein. Initial recruitment

of the respondents being wholly illegal and contrary to the constitutional

24

(199-) 170)

4 * * * * * * -) 9 R

17-1

M

-

-

scheme of this country, the impugned judgment of the High Court cannot be upheld. It is set aside accordingly.

7. In the light of the decision in <u>Uma Devi (3)</u> (supra) and the interpretation given to Para 53 therein by this Court in the abovementioned judgments, the appeals are allowed. However, in the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs.

[S.B. Sinha]

200 58

.....J. [Cyriac Joseph]

NEW DELHI FEBRUARY 25, 2009 The M.P. (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979

- 1					C-J
Banoon	Free features	Premium fea	atures Cas	e removal	
8					Search
Warning on translation	Get this docu	ment in PDF	Print it on a file	/printer	
Select Language V	T				

Powered by Google Translate

9/6/24, 2:02 PM

[Cites 0, Cited by 0]

Take notes as you read a judgment using our <u>Virtual Legal Assistant</u> and get email alerts whenever a new judgment matches your query (<u>Query Alert Service</u>). Try out our <u>Premium Member Services</u> -- <u>Sign up today</u> and get free trial for one month.

State of Madhya Pradesh - Act

The M.P. (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979

MADHYA FRADESH India

The M.P. (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979

Rule THE-M-P-WORK-CHARGED-AND-CONTINGENCY-PAID-EMPLOYEES-PENSION-RULES-

Published on 18 December 1979 Commenced on 18 December 1979

[This is the version of this document from 18 December 1979.]

[Note: The original publication document is not available and this content could not be verified.]

The M.P. (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979

Published vide Notification No. FB/6/8/79/R-2/4, dated 18-12-1979

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title.

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 1974.

2. Definitions.

- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Contingency paid employee" means a person employed for full time in an office or establishment and who is paid on monthly basis and whose pay is charged to office contingencies excluding the employees who are employed for certain period only in a year,
- (b) "Work-charged employee" means a person employed upon the actual execution, as distinct from general supervision of a specified work or upon subordinate supervision of the departmental labour, store, running and repairs of electrical equipment and machinery in connection with such work, excluding the daily paid labour and muster-roll employee employed on the work;
- (c) "Permanent employee" means a contingency paid employee or a work-charged employee who has completed fifteen years of service or more on or after the 1st January, 1974.

3. Scope and application.

- These rules shall apply to every permanent member of the Work-charged and Contingency paid employees' service.

4. Regulation of amount of pension.

https://indiankanoon.org/doc/196887262/

User Queries

M.P. Civil Services Per M.P. Civil Services (Pe Pension Rules permanent employee work charge contingent employees civil services

- Notwithstanding anything contained in Rules 5 and 6, the payment of pension and gratuity of permanent employee shall be regulated as under, namely :-
- (1) The Madhya Pradesh New Pension Rules, 1951, except Rule 5 thereof, shall apply to all permanent employees who have retired on or after the 1st January, 1974 but before the 1st June, 1976.
- (2) The Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976 except Rules 47 and 48 thereof, as amended from time to time, shall apply to all permanent employees who have retired on or after the 1st June, 1976.

5. Procedure for preparation of pension papers, sanction and payment of pension, etc.

- The rules in Chapters VIII, XI and XII of the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976 shall apply mutatis mutandis in the case of employees including those who have retired on or after the 1st January, 1974 but prior to the 1st June, 1976.

6. Commencement of qualifying service.

- (1) Subject to the provisions of Chapter III of the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976 or Section IV of the Madhya Pradesh New Pension Rules, 1951 as the case may be, for calculating qualifying service of a permanent employee who retires as such, the service rendered with effect from the 1st January, 1959 onwards shall be counted.
- (2) On absorption of a permanent employee without interruption against any regular pensionable post, the service rendered with effect from 1st January, 1959 onwards shall be counted for pension as if such service was render in a regular post.

vmexure-P गान गरेव बागेन וערוו למאוח

क्रमगंक/बी. 25/17/95/पीड ब्ल्यूसी/घार, भोपाल, दिनांक 30 जनवरी १६.

11.1161

भेगत हे सारत जीवना । २०११ - राज्य स मण्डल, वस स्वरित्र,

Save and then before the Section of the second second

Section.

- . *erri* e ¹

11441-

Gent 11

म- कार्यमारित तथा आक्रत्मिकता से वतन पाने पाले कर्मचारियों की निगयमित त्थापना में निष्ठित होने पर अर्थताथायी स्ताह का निगहिर । !

भाष्यप्रदेश किाकिसाहित तथा आवहितकता ते केतन पहने ताले कर्तना ? भाषा तारी गत्न के ते प्राणागत हो कि कर्दित वाले हैं ?? वाले के कि कार्यना हो में के कार्यना हो के के कर्तना है के आवितियन होता है तो 1.1.59 से अपि की यह राजा देशन प्रयोगत के लिए संवितियन होता है तो 1.1.59 से अपि को यह राजा देशन प्रयोगत के लिए अहँकादायी सेवा मानी कारगी 1

2/ १९ राज्य इतन ने वियारोपरान्त, अब यह निर्णय सिवा हे कि काफिरारित तथा आकृतिकति तथा के किसी भी कर्तवारों का जिसने कम ते का 6 तर्व का तेवाकाल पूर्व कर लिया हो, यदि रिवा किसी ध्यत्यान के दिसी निवनिशा महन योद्य वद्य पर तीवलियन किया जाता है तो ऐसे कर्तवारों दारा काफिरारित/ आकृतिसकता सेवा में की गई सेवा येवन प्रयोजन हेतु अर्हतादाती सेवा मानी लागेगी। अस्तितिसकता सेवा में की गई सेवा येवन प्रयोजन हेतु अर्हतादाती सेवा मानी लागेगी। अस्तितिसकता सेवा के निर्वा 6 से सेवा आकृतिसकता से दान जाने ताल केंग्रेवारी है पद्येन निवम, 1979 के नियम 6 में संजोधन सेलम् न है।

207 989 Pillit neu ger ster

ten theity

मुह्येत्र - उपरोकताः लार.

गः च प्रदेश शासन भारा। तिगाग तंत्रालग ज्या ११ अपि सूच ना //

भोपाल, दिना क 30जनवरी 36.

(: ·· /

-उन्दर रितामों मे,-नियम 6 के उप--नियम 2 के गश्चात निम्नलिमित उग नियम जिल्हाना". अगरिय-


तत्रोगन

। १३१ किंगी अरणाई कर्मचारी के, चिना किसी लगापान के, किसी भी नियमिल धेशन मोज्य पाद पज संचितियन किथे जाने पर 1 कलती, 1970 के सिमे की की गई सेवा, बन्नी कि ऐसी सेवा छह वर्ष से का की सालो, स्ट्रेस के लिथे जिभी आएगी माना कि ऐसी सेवा किसी नियमित पद पर की जई हो।

> मध्यप्रदेव के राज्यभाव के लाग है। लगा आदेशनुसार

(UNIMANY १ एस०जी ः सिम्मेय उप सचिवे

प्रमार पर्वर रातन मध्य प्रदेश कातन, विल्ल किगाग



मध्य प्रदेश शासन वित विभाग मंत्रालय सी / चार भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 96

*कमांक / बी.25 / 17 / 95 / पीडब्ल्यूसी / चार पति

शासन के समस्त विभाग, वल्लभ भवन भोपाल, मध्य पदेश समस्त संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर समस्त जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर

विषयः कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियमित रथापना में स्थापना में नियुक्ति होने पर अहर्तादायी सेवा का निर्धारण।


 मध्य प्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 के नियम 6(2) में यह प्रावधन है कि कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी का यदि नियमित स्थापना में संविलियन होता है तो 1.1.59 से आगे की गई सेवा पेंशन प्रयोजन के लिये अहर्तादायी सेवा मानी जाएगी।

2. राज्य शासन ने विचारोपरांत, अब यह निर्णय लिया है कि कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा के किसी भी कर्मचारी का जिसने कम से कम 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, यदि बिना किसी व्यवधान के किसी नियमित पेंशन योग्य पद पर संविलियन किया जात। है तो ऐसे कर्मचारी व्दारा कार्यभारित/ आकस्मिक सेवा में की गई सेवा पेंशन प्रयोजन हेतु अहर्तादायी सेवा मानी जावेगी।

 मध्य प्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 के नियम 6 में संसोधन संलग्न है।

सहपत्र- उपरोक्तानुसार

ए.एन. अस्थाना संचिव मध्य प्रदेश शासन वित विभाग



मध्य प्रदेश शासन वित विभाग मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 96

कमांक/बी.25/17/95/पीडब्ल्यूसी/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद व्दारा, मध्य प्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम 1979, में निम्नलिखित और संसोधन करते हैं अर्थात:--

संसोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 6 के उपनियम 2 के पश्चात निम्नलिखित नियम जोडा जाए, अर्थातः-

(3) किसी अस्थाई कर्मचारी के, बिना किसी व्यवधान के, किसी भो नियमित पेंशन योग्य पद पर 1 जनवरी 1974 से आगे की गई सेवा, बशर्ते की ऐसी रोवा छह वर्ष से कम की न हो, पेंशन के लिये गिनी जाएगी, माना की ऐसी सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसा,

एस.जी. लिमिये उपसचिव मध्य प्रदेश शासन वित विभाग

Enquire Now

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

of 1

क्रमांक 67]



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 फरवरी 2023—फाल्गुन 8, शक 1944

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भौपाल, दिनांक 27 फरवरी 2023

एफ 9-1-23-नि -चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदुद्वारा, मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 में निप्नलिखित संशोधन करते हैं, जर्थात्:—

संशोधन

उकत नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम जोडा जाए, अर्थात्:---

''(3) किसो अस्थायी कमंचारी के लिए, बिना किसी व्यवधान के, किसी नियमित पेंशन योग्य पद के उपबंधों पर 1 उनवरी, 1974 से पूर्व की गई सेवा की पेंशन के लिए गणना यह मानते हुए की जाएगी, मानो कि ऐसी सेवा नियमित आधार पर की गई हो, बशतें कि ऐसी सेवा छह वर्ष से कम की न हो.''.

2. यह संशोधन दिनांक 30 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

F 9-1-23-भि-चार.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:---

"(3) A service made before 1^a January, 1974 on the provisions of any regular pensionable post for any temporary employee, without any interference, provided that such service is not less than six years shall be counted for pension suppose that such a service has been done on a regular basis.".

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 30th January, 1996.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीत कमार, सचिव

133

निर्यप्रक, शासकोय मुद्रभ तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकोय केन्द्रीय मुद्रजलय, भोषाल से मुदित तथा प्रकाशित---2025

Contact Us

CIN: U74999PN2018PTC179553

TeamLease Regtech Pvt. Ltd. (Formerly - Avantis RegTech Pvt. Ltd.) Awfis Space Solutions Pvt Ltd. Opposite Commissioner Office, 1 Church road, Camp. Pune, Maharashtra 411001, India.

S 9899245318

Sales@tiregtech.com

About Us

Our Clients

Our Locations

Media

Careers

12.5



Amendment to the M.P. (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979

The Governor of Madhya Pradesh issued a notification dated 28th December, 2023 for making an amendment in the Madhya Pradesh (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979. The said amendment was made in a notification dated 27th February, 2023 issued in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary). The notification of February introduced a sub rule in the rule 6 of the Madhya Pradesh (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979.

Rule 6 of the Rules state provisions for calculating qualifying service of a permanent employee who retires, the service rendered with effect from the 1st January, 1959 onwards shall be counted. Further, sub rule 2 of Rule 6 says that if the permanent employee retires without interruption against any regular pensionable post, the service rendered with effect from 1st January, 1959 onwards shall be counted for pension as if such service was rendered in a regular post.

Sub rule 3 of Rule was added by the notification which laid provision such as "A service made before I" January, 1974 on the provisions of any regular pensionable post for any temporary employee, without any interference, provided that such service is not less than six years shall be counted for pension suppose that such a service has been done on a regular basis."

The recent amendment provides that in sub rule 3, the word 'before' has been substituted with the word 'after.' Therefore, the amended sub rule 3 of Rule 6 shall be read as, " A service made after January, 1974 on the provisions of any regular pensionable post for any temporary employee, without any interference, provided that such service is not less than six years shall be counted for pension suppose that such a service has been done on a regular basis."

The rules means that any service made after January 1974 which shall not be less than 6 years by a temporary employee on the basis of regular pensionable, shall be considered pension if such a service has been done on a regular basis.

19	X
नियम '	म.प्र./छ.ग. सेवा दैनिक-कार्यभारित तथा आकस्मिकता कर्मचारी नियम 55
	अथवा
ज में दो	2. मैं वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि की व्यवस्था चालू रखने का विकल्प देता हूँ। मेरा अंशदायी
ब से या	भविष्य निधि खाता क्रमांक है।
गीन माह	स्थानहस्ताक्षर
भविष्य	दिनांक वर्तमान पद
ाध्यप्रदेश	अभिप्रमाणित
	(कार्यालय प्रमुख)
दाता हो,	टीप-
येगा कि	1. विकल्प दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावे, विकल्प का भाग (1) अथवा (2) जो लागू न हो, वह
। है और	काट दिया जावे।
ष्य निधि	2. विकल्प प्रस्तुत होने पर जिन प्रकरणों में मध्यप्रदेश अंशदायी भविष्य निधि के खाते बन्द किये
	जाने हैं, उनके संबंध में कार्यालय प्रमुख द्वारा विकल्प की एक प्रति महालेखाकार को भेजकर अग्रिम
ा उपदान	कार्यवाही की जावेगी।
कर्मचारी	 कर्मचारी का अभिप्रमाणित विकल्प सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेख के साथ रखा जावे।
ाध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश शासन
ा शासित	वित्त विभाग
¥	अधिसूचना
मामले में	(मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 8 फरवरी, 1980 के भाग 4 (ग) में प्रकाशित)। जन्मांच गए ची. 6/8/70/पि.2/चप, शोपपत्र, विपांच 18 विपाचर, 1070 -
ाह खत्म के जारी	क्रमांक एफ.बी. 6/8/79/नि-2/चार, भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए
क जारा , शासित	मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
, रागसत	नव्यप्रदेश के राज्यपाल, रतप्रारा निम्नालाखत नियम नियम
लिए वित्त	1. संक्षिप्त नाम- (1) ये नियम मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले
1956 के	कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 कहलायेंगे।
: अनुसार,	(2) ये 1 जनवरी, 1974 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।
ाशि काटी	2. परिभाषाएँ- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
	(क) 'आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्यालय
कर्मचारी	या स्थापना में पूर्णकाल के लिए नियोजित हो और उसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता
में संलग्न	हो और जिसका वेतन कार्यालय आकस्मिकताएं पर प्रभारित हों, किन्तु उसमें ऐसे कर्मचारी
	सम्मिलित नहीं हैं जो वर्ष में केवल कतिपय कालावधियों के लिये ही नियोजित किये जाते हैं;
2-1979]	(ख) 'कार्यभारित कर्मचारी' से अभिप्रेत है किसी विनिर्दिष्ट कार्य के वास्तविक निष्पादन कार्य में
	जो कि उक्त कार्य में सामान्य पर्यवेक्षण से भिन्न है, या ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, विभागीय
के पैरा 1	श्रमिकों, स्टोर विद्युत उपस्कर और मशीनरी के चालन तथा उनकी मरम्मत के अधीनस्थ
	पर्यवेक्षण कार्य में नियोजित कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत वे श्रमिक जिन्हें कि उस कार्य के
3-12-79	संबंध में दैनिक भुगतान मिलता हो तथा वे कर्मचारी जो कि उस कार्य के संबंध में मस्टर रोल
म, 1979	पद्धति से नियोजित किए जाते हों, नहीं आते हैं;
	(ग) 'स्थाई कर्मचारी' से अभिप्रेत है आकस्मिकता से वेतन पाने वाला ऐसा कर्मचारी या

COMP-

म.प्र./छ.ग. सेवा दैनिक-कार्यभारित तथा आकस्मिकता कर्मचारी नियम

कार्यभारित ऐसा कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 1974 को या उसके पश्चात् पन्द्रह वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो :

1[परन्तू आकस्मिकता से वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी या कार्यभाष्ति ऐसे कम् चारी, जिसने 1-4-81 को या उसके पश्चात अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली है, के संबंध में स्थायी कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी जिसने 1-1-1974 को या उसके पश्चात् दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति- ये नियम कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के प्रत्येक स्थायी सदस्य को लागू होंगे।

4. पेंशन की रकम का विनियमन- नियम 5 तथा 6 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्थायी कर्मचारियों की पेंशन तथा उपदान का भूगतान नीचे दिये गये अनुसार, विनियमित किया जावेगा, अर्थात:-

- मध्यप्रदेश न्यू पेंशन रूल्स, 1951, उसके नियम 5 को छोड़, ऐसे समस्त स्थायी कर्मचारी को (1)लागू होंगे जो 1 जनवरी, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 1976 से पूर्व सेवा निवृत्त हए हों।
- (2) समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1976 उसके नियम 47 तथा 48 को छोड़, ऐसे समस्त स्थायी कर्मचारियों को लागू होंगे जो 1 जन, 1976 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए हैं।

1[4.(क) नियम 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे स्थायी कर्मचारी, जिसकी सेवा में रहते हुये या 1-4-81 को या उसके पश्चात् पेंशन पर सेवा निवृत्त होने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है, का परिवार उसकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति के समय उसे मिलने वाले वेतन का 30 प्रतिशत जो कि न्यूनतम 40 रुपये तथा अधिकतम 100 रुपये प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुये होगा, म.प्र. सिविल सर्विसेज (पेंशन रूल्स, 1976 के नियम 47 के उपनियम (3) को छोड़कर, उक्त नियम (नियम 47) की अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुये परिवार पेंशन पाने का हकदार होगा।

5. पेंशन के कागजात, पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान आदि की तैयारी की प्रक्रिया- म.प्र. सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1976 के अध्याय आठ, ग्यारह तथा बारह में नियम कर्मचारियों के मामले में जिनमें, ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो 1 जनवरी, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 1976 के पूर्व सेवा निवृत्त हो गये हैं, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

6. अर्हक सेवा का प्रारंभ- यथास्थिति मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1976 के अध्याय तीन या मध्यप्रदेश न्यू पेंशन रूल्स, 1951 के अनुभाग (सेक्शन) चार के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हए-

- (1) किसी स्थायी कर्मचारी की, जो उस रूप में सेवा-निवृत्त होता हो, अर्हक सेवा की संगणना के लिये 11 जनवरी, 1959 से आगे की गई सेवा गिनी जायेगी;
- (2) किसी स्थायी कर्मचारी के बिना किसी व्यवधान के किसी भी नियमित पेंशन योग्य पद पर संविलियन किये जाने पर उसकी अर्हक सेवा की संगणना के लिये 1 जनवरी, 1959 से आगे की गई सेवा गिनी जायेगी मानो कि ऐसी सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो।

N

1(:

309 of ing Rul

and Co

(2 2. (a) establi: conting (b) as distin the depa connect ployed ((c) employ 1974 : 3[P

superan pleted te 3. ! work-ch 4.1 and 6, tl under, n (1)to all per 1st June.

1. वित्त टि 2. Publisl

3. Inserte

1. वित्त विभाग क्र. FB-6/8/79/R/II/IV, दिनांक 13-9-1982 से जोडा गया।

तती नियमं

हं या उससे

तरी, जिसने 1 में स्थायी दत्त वर्ष की

कर्मचारियों

्भी, स्थायी 1. अर्थात्ः-कर्मचारी को सेवा निवृत्त

उसके नियम 1976 को

ारो, जिसकी त्यु हो जाती कि न्यूनतम र्वतेज (पेंशन रन्य शर्तों के

हया- म.प्र. वों के मामले जून, 1976

, 1976 के के अध्यधीन

ी संगणना

ाग्य पद पर ३**59 से आगे** हो। म.प्र./छ.ग. सेवा दैनिक-कार्यभारित तथा आकस्मिकता कर्मचारी नियम

¹(3) किसी अस्थाई कर्मचारी के बिना किसी व्यवधान के किसी भी नियमित पेंशन योग्य पद पर संविलियन किये जाने पर 1 जनवरी, 1974 से आगे की की गई सेवा, बशर्ते कि ऐसी सेवा छह वर्ष से कम की न हो, पेंशन के लिये गिनी जाएगी, मानो कि ऐसी सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो।

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH FINANCE DEPARTMENT NOTIFICATION²

Bhopal, dated the 18th Dec, 1979.

No. F.B. 6/8/79/R-II-V- In exercise of the powers conderred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following Rules, namely :-

RULES

1. Short title- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh (Work-charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 1974.2. Definitions- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Contingency paid employee" means a person employed for full time in an office or establishment and who is paid on monthly basis and whose pay is charged to office contingencles excluding the employees who are employed for certain period only in a year.

(b) "Work-charged employees" means a person employed upon the actual execution, as distinct from general supervision of a specified work or upon subordinate supervision of the departmental labour, store, running and repairs of electrical equipment and machinery in connection with such work, excluding the daily paid labour and muster-role employee employed on the work.

(c) "**Permanent employee**" means a contingency paid employee or a work-charged employee who has completed fifteen years oa service or more on or after the 1st January, 1974 :

³[Provided that in respect of a contingency paid employee who has attained the age of superannuation on or after 1-4-1981, permanent employee means an employee who has completed ten years of service on or after the January 1, 1974.]

3. Scope and application- The rules shall apply to every permanent member of the work-charged and contingency paid employee's service.

4. Regulation of amount of pension- Notwithstanding anything contained in Rules 5 and 6, the payment of pension and gratuity of permanent employees shall be regulated as under, namely :-

(1) The Madhya Pradesh New Pension Rules, 1951 except Rule 5 thereof, shall apply to all permanent employees who have retired on or after the 1st January, 1974 but before the 1st June, 1976.

1. वित्त विभाग क्र. B-25/17/45/PWC/IV, दिनांक 30-1-96 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. Published in M.P. Raijpatra Part IV (Ga), dated 8th February, 1980.

3. Inserted by F.D. No. F.B. 6/8/79/R-II/IV, dated 13-9-1982.

म.प./ह

सह

इस

अथवा से

तथा दरों

दिनांक 1

1981 से

विषय-

कार

आकस्मिव

नियमों के

वाले कर्मच

पेंशन की

सामान्य पें

विभाग ने

कर्मचारियों

दस वर्ष कें

को दिनांक

पाने वाले र

3. इ.

उ

2. 3

(2) The Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976, except Rules 47 and 48 thereof, as amended from time to time, shall apply to all permanent employees who have

retired on or after the 1st June, 1976. [4-A. Notwithstanding anything contained in Rule 4, the family of a permanent employee, who dies while in service or after retirement on pension on or after 1-4-1981 shall be entitled to family pension at the rate of 30% of his/her pay drawn at the time of death/retirement, subject to a minimum of Rs. 40 per month and maximum of Rs. 100 per month subject to other conditions of Rule 47 of the M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976 except subrule (3) of the said rule.]

5. Procedure for preparation of pension papers, sanction and payment of pension, etc.- The rules in chapters VIII, XI and XII of the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976, shall apply mutatis mutandis in the case of employees including those who have retired on or after the 1st January, 1974 but prior to 1st June, 1976.

6. Commencement of qualifying service- (1) Subject to the provisions of chapter III of the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976 of section IV of Madhya Pradesh New Pension Rules, 1951, as the case may be, for calculating qualifying service of a permanent employee who retired as such, the service rendered with effect from the 1st January, 1959 onwards shall be counted.

(2) On absorption of a permanent employee without interruption against any regular pensionable post, the service rendered whith effect from 1st January, 1959 onwards shall be counted for Pension as if such service was rendered in a regular post.

²(3) On absorption of temporary employee without interruption against any regular pensionable post, the service rendered with effect from 1st January, 1974 onwards, if such service is of less than six years shall be counted for pension as if such service was rendered in a regular post.

विषय- कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियमित स्थापना में नियक्ति होने पर अर्हतादायी सेवा का निर्धारण।

मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 के नियम अतः राज्य 6 (2) में यह प्रावधान है कि कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले स्थाई कर्मचारी को यदि को या उस कर्मचारी उ नियमित स्थापना में संविलियन होता है तो 1-1-59 से आगे की गई सेवा पेंशन प्रयोजन के लिए अर्हतादायी सेवा मानी जाएगी।

2. राज्य शासन ने विचारोपरान्त, अब यह निर्णय लिया है कि कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा था उसके र की दिनांक के किसी भी कर्मचारी का जिसने कम से कम 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, यदि बिना किसी उन्हें मृत्यु र व्यवधान के किसी नियमित पेंशन योग्य पद संविलियन किया जाता है तो ऐसे कर्मचारी द्वारा कार्यभारित/ आकस्मिकता सेवा में की गई सेवा पेंशन प्रयोजन हेत अर्हतादायी सेवा मानी जावेगी। प्रतिमाह तथ

3. मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के पेंशन नियम नियम 6 में संशोधन संलग्न है।

> [मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग क्रमांक/बी. 25/17/95/पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 30 जनवरी, 961

2. Substituted vide Notification No. B-25/17/95/PWC/IV. dt. 30-1-96.

^{1.} Inserted by F.D. No. F.B. 6/8/79/R-II/IV, dated 13-9-1982.

र्मचारी निथम

म.प्र./छ.ग. सेवा दैनिक-कार्यभारित तथा आकस्मिकता कर्मचारी नियम

es 47 and 48 es who have

rmanent em-1981 shall be death/retirenonth subject 6 except sub-

it of pension, ces (Pension) ng those who

chapter III of dhya Pradesh ce of a permae 1st January,

st any regular wards shall be

st any regular wards, if such was rendered

मित स्थापना में

1979 के नियम कर्मचारी को यदि प्रयोजन के लिए

यदि बिना किसी

नियम, 1979 के

.डब्ल्यू.सी./चार, 30 जनवरी, 96

सहपत्र - उपरोक्तानुसार

परिवार पेंशन

इस सेवा के जिन स्थाई कर्मचारियों की दिनांक 1-4-1981 को या इसके पश्चात् सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार के पात्र सदस्य को शासन के प्रचलित नियमों तथा दरों पर परिवार पेंशन की पात्रता होगी। शासन के नियमित कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन योजना दिनांक 1-4-1966 से प्रभावशील है, किन्तु इस सेवा के सदस्यों को परिवार पेंशन योजना दिनांक 1-4-1981 से प्रभावशील की गई है। इस संबंध में राज्य शासन अन्देश निम्नान्सार हैं-

(1)

कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों को पेंशन विषय-तथा परिवार पेंशन के संबंध में।

कार्यभारित तथा आकस्मिकता की स्थापना के स्थायी सदस्यों को म.प्र. (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के अनुसार पेंशन की पात्रता होती है। इन नियमों के नियम 2 (ग) के अनुसार दिनांक 1-1-74 को या उसके पश्चात् 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी को इस सेवा का स्थायी सदस्य माना गया है। इन नियमों में इस सेवा के सदस्यों को परिवार पेंशन की पात्रता संबंधी प्रावधान नहीं है।

2. कुछ समय से इस सेवा के सदस्यों को अन्य कर्मचारियों के समान दस वर्ष की सेवा के पश्चात् सामान्य पेंशन तथा परिवार पेंशन दिये जाने का प्रश्न राज्य शासन के विचाराधीन था। सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके ज्ञाप क्रमांक डी-19/3000/1 (3) वे/81, दिनांक 18-3-82 द्वारा इस स्थापना के कर्मचारियों की भरती तथा सेवा शर्तें नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 1-1-73 को या उसके पश्चात् दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी को इस स्थापना का स्थायी सदस्य माना है और इन आदेशों को दिनांक 1-4-81 से प्रभावशील किया गया है। अतः म.प्र. (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के नियम 2 (ग)में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस सेवा के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1-4-81 को या उसके पश्चात् अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली है, के संबंध में पेंशन प्रयोजन के लिये स्थायी कर्मचारी उसे माना जावेगा जिसने दि. 1-1-74 को या उसके पश्चात् दस वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।

3. इस सेवा के स्थायी सदस्यों को परिवार पेंशन दिये जाने का प्रश्न शासन के समक्ष विचाराधीन नाकस्मिकता सेवा था उसके सम्बन्ध में भी विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस सेवा के जिन स्थायी कर्मचारियों की दिनांक 1-4-81 को या उसके पश्चात् सेवा में रहते हुये या सेवा निवृत्ति के पश्चात् मृत्यु हो जाय तो द्वारा कार्यभारित/ उन्हें मृत्यु या सेवा निवृत्ति, जो भी स्थिति हो, के समय प्राप्त वेतन के 30% की दर से न्यूनतम रु. 40 प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 100 प्रतिमाह की सीमा में उसके परिवार को परिवार पेंशन की पात्रता होगी। 4. उपरोक्त निर्णयों के अनुसार म.प्र. (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी)

पेंशन नियम, 1979 के नियम 2 तशा 4 में संशोधन किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। [वित्त विभाग क्र. F-B-6/8/79/R-II/IV, दिनांक 13-9-1982]

म.प्र./छ.ग. सेवा दैनिक-कार्यभारित तथा आकस्मिकता कर्मचारी निर

विषय- कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के स्थायी सदस्यों को परिवार पेंशन देने के संबंध में।

चौधरी वेतन आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य शासन के नियमित शासकीय कर्मचारियों को देय परिवार पेंशनों की दरों का पुनः निर्धारण इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.बी. 6/6/83/नि-2/चार, दिनांक 10-5-83 द्वारा किया जाकर नई दरों का उक्त ज्ञाप के पैरा 2 में अंकित किया है।

2. वर्तमान में कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा में स्थार्थ सदस्यों को इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/8/79/नि-4/चार, दिनांक 13-9-82 के पैरा 3 के अनुसार जिनकी दिनांक 1-4-81 को या उसके पश्चात् सेवा में रहते हुये या सेवा निवृत्ति के पश्चात् मृत्यु हो जाये तो उन्हें मृत्यु या सेवानिवृत्ति, जो भी स्थिति हो, के समय प्राप्त वेतन के 30% की दर से न्यूनतम रुपये 40 प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 100 प्रतिमाह की सीमा से उसके परिवार को परिवार पेंशन स्वीकार्य है।

3. राज्य शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के स्थायी सदस्यों को उनकी सेवा में रहते या पेंशन पर सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु होने की स्थिति में नियगित शासकीय कर्मचारियों के समान इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/6/ 83/नि-2/चार, दिनांक 10-5-83 के अनुसार परिवार पेंशन की पात्रता होगी।

4. ये आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

5. म.प्र. (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 में औपचारिक संशोधन पृथक् से जारी किया जावेगा।

[वित्त विभाग क्रमांक F-B-6/14/83/R-II/IV, दिनांक 24-1-1984]

कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी

(उपदान हितलाभ) नियम, 1962

The Madhya Pradesh Work-Charge Staff and Contingency Paid Staff (Gratuity Benefits) Rules, 1962

1. (i) These rules may be called the Madhya Pradesh Work-charged Staff and Contingency Paid Staff (Gratuity Benefit) Rules, 1962.

(ii) They shall come into force with effect from the [17th September, 1962]¹

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

- (a) 'Work Charged Staff and contingency paid staff means the staff listed in the Appendix to these rules;
- (b) 'Post in a Regular Establishment' means a permanent or temporary post on pensionable establishment.

Note- Such establishment, service in which does not count for pension, irrespective of whether they are temporary or permanent, shall be excluded from the scope of the above definition.

क्रम प्रदत्त शत्ति कंटीजेन्सी

6

Pr

Aı Nc

M

no

Mc

Pro

No

Prc

1[3.

Pro

with alle

be taker

of his se lishmen

resignati fifteen d

maximu

Gratuity

less tha

ance, tl

thus ar

Amended vide Finance Department No. B-6/16/74/R-II/IV, dated 11-9-1974 and No. B-6/16/74/ R-II/V, dated 13-5-1976.